# मध्यप्रदेश विधान सभा

## ( चतुर्दश विधान सभा )

## शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

## का

## चतुर्थ प्रतिवेदन

**( फरवरी-मार्च, 2000 सत्र से संबंधित)**

**( यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत. )**

# विषय सूची


| क्रमांक (1) | विषय (2) | पृष्ठ संख्या (3) |
|---|---|---|
| 1. | **समिति का गठन** | एक |
| 2. | **प्रस्तावना** | दो |
| 3. | **प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची** | तीन |
| 4. | **विभागों के नाम:-** | |
| | नर्मदा घाटी विकास | 01 |
| | राजस्व | 02 |
| | वन | 06 |
| | किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग | 07 |
| | सहकारिता | 09 |
| | आवास और पर्यावरण | 10 |
| | गृह (पुलिस) | 11 |
| | जन शिकायत निवारण | 14 |
| | वाणिज्यिक कर | 15 |
| | विधि और विधायी | 16 |
| | पंचायत और ग्रामीण विकास | 17 |
| | नगरीय प्रशासन एवं विकास | 18 |
| | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 23 |
| | चिकित्सा शिक्षा | 34 |
| | लोक निर्माण | 37 |
| | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 38 |
| | ग्रामोद्योग | 39 |
| | अनुसूचित जाति कल्याण | 40 |
| | आदिम जाति कल्याण | 41 |
| | स्कूल शिक्षा | 42 |
| | श्रम | 48 |
| 5. | **परिशिष्ट - "1"** (फरवरी-मार्च 2000 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची) | 49 |

# शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
# ( वर्ष 2015-16)

## सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

## सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

## विधान सभा सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री भगवानदेव ईसरानी | . . | प्रमुख सचिव |
| 2. | श्री ए.पी.सिंह | . . | सचिव |
| 3. | श्री जी.के.राजपाल | . . | अपर सचिव |
| 4. | श्री बी.डी.सिंह | . . | उप सचिव |
| 5. | श्री आर.के.गुप्ता | . . | अवर सचिव |
| 6. | श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी | . . | अनुभाग अधिकारी |
| 7. | श्री शिवप्रसाद बुन्देला | . . | अनुभाग अधिकारी |

# प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में फरवरी-मार्च 2000 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 569 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 93 आश्वासन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे तथा 391 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है तथा 01 आश्वासन विलोपित किया गया है। इस प्रकार शेष 84 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस चतुर्थ प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

**राजेन्द्र पाण्डेय**
**सभापति**
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 01 दिसम्बर, 2015.

# प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

| क्र. | विभाग का नाम | आश्वासन क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | नर्मदा घाटी विकास | 07 |
| 2. | राजस्व | 25, 31, 32, 33, 36, 58, 66, 68, 69, 70 |
| 3. | वन | 79 |
| 4. | किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग | 111, 116, 124, 125 |
| 5. | सहकारिता | 137 |
| 6. | आवास और पर्यावरण | 160 |
| 7. | गृह | 170, 173, 194, 202, 203, 211 |
| 8. | जन शिकायत निवारण | 223 |
| 9. | वाणिज्यिक कर | 237 |
| 10. | विधि और विधायी | 239 |
| 11. | पंचायत और ग्रामीण विकास | 250 |
| 12. | नगरीय प्रशासन एवं विकास | 266, 267, 269, 270, 273, 279, 289, 294, 295, 296, 300, 301, 302, 305, 306 |
| 13. | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 325, 328, 332, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 353, 354, 355, 358, 359 |
| 14. | चिकित्सा शिक्षा | 336, 362, 363, 364, 365, 366, 367 |
| 15. | लोक निर्माण | 417, 427 |
| 16. | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 460 |
| 17. | ग्रामोद्योग | 462 |
| 18. | अनु. जाति कल्याण | 463 |
| 19. | आदिम जाति कल्याण | 472, 475 |
| 20. | स्कूल शिक्षा | 486, 491, 492, 494, 498, 505, 512, 522, 528, 531 |
| 21. | श्रम | 559 |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## नर्मदा घाटी विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | 07 | अता.प्र.सं-611 (क्र. 2124) दि. 11.02.2000 | मान परियोजना मनावर जिला धार के बांध निर्माण हेतु ठेकेदार को दी गयी अग्रिम के रूप में दी गई राशि में से 94.72 लाख रुपये की वसूली. | शेष राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है. | मेसर्स पल्लनाटित कन्सट्रक्शन कंपनी केरला विरूद्ध ठेकेदार से उनकी जब्तशुदा मशीनों, वाहनों की नीलामी कर आज दिनांक तक 49.60 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि 61.00 लाख की वसूली एवं डेबीटेबल राशि के साथ जोड़कर रूपये 335.57 लाख की वसूली सुनिश्चित करने हेतु त्वरित कार्यवाही निश्चित की जायें के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :- मेसर्स पल्लनाटित कन्सट्रक्शन कंपनी केरला से रूपये 335.57 लाख की वसूली तहसीलदार मुबतुपूजा जिला अर्नाकुलम केरला द्वारा प्रगति पर थी एवं फर्म से रूपयें 57700/- की वसूली की जा चुकी थी, इसकी मध्य ठेकेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रकरण क्रमांक 2765/08 दायर किया गया, जिससे वसूली लंबित हुई। विभाग द्वारा दिनांक 07.08.2008 को जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 06.01.2009 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 कुक्षी द्वारा पुनरीक्षित आर.आर.सी. रूपयें 335.57 लाख जारी करने की कार्यवाही की गई, जिसके विरूद्ध ठेकेदार द्वारा प्रकरण डब्ल्यू पी 1437/2009 पुन: दर्ज किया, जिसका जवाब विभाग द्वारा 01.09.09 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 1437/2009 के जवाबदावा के समय ज्ञात हुआ कि गणना के समय त्रुटि के प्रकरण व्यय 77.40 लाख की गणना कर आर.आर.सी. जारी हुई । अत: महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के निर्देशानुसार रूपये 77.40 लाख की पूरक आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है। इस प्रकार ठेकेदार से कुल 412.97 लाख की वसूली की जाना है । ठेकेदार को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से स्थगन प्राप्त है । वर्तमान में प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.01.2014 थी किंतु सुनवाई की कार्यवाही न हो सकी । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.08.2014 को भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रकरण में दिनांक 15.12.2014 को सुनवाई नियत थी, किंतु सुनवाई पूर्ण नहीं हो सकी। प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभी आगामी तिथि निर्धारित नहीं की गई है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-1-107/2000/27-1,<br>दिनांक 20-02-2015 | समिति अपेक्षा करती है कि प्रकरण में न्यायालय के आदेश/निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। |

# फरवरी-अप्रैल, सत्र 2000
## राजस्व विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2. | 25 | ता.प्र.सं- 5<br>(क्र. 33)<br>दि. 04.02.2000 | जिला भोपाल में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु नजूल विभाग में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लंबित 366 प्रकरणों का निराकरण. | निराकरण शीघ्र किया जा रहा है. | विभाग के पत्र दिनांक 25.8.2000 द्वारा कलेक्टर, भोपाल को निर्देशित किया गया है कि लंबित प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध प्रोग्राम बनाकर करायें.<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>21-2/2000/सात/नजूल,<br>दिनांक 06-11-2000 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 3. | 31 | अता.प्र.सं.53<br>(क्रं.883)<br>दि.04.02.2000 | जिला टीकमगढ़ के तहसील बल्देवगढ़ एवं नायब कोर्ट खरगापुर के वर्ष 1990 से 1998 तक के बनाये गये पट्टों की जांच तथा कार्यवाही । | परीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही होगी । | कलेक्टर, टीकमगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार बल्देवगढ़ एवं नायबी कोर्ट खरगापुर में वर्ष 1990 से वर्ष 1998 तक बनाये गये 1742 पट्टों में से 654 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई थी।<br>अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा उक्त 654 प्रकरणों में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने के कारण सभी प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में भेजे गए। उक्त प्रकरण न्यायालय में स्वमेव पुनरीक्षण में लेकर पंजीबद्ध किये गये एवं सुनवाई हेतु पक्षकारों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए । मार्च 2002 तक 654 प्रकरणों में से 193 प्रकरणों में म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत निहित शर्त के अनुसार 02.10.84 को कब्जा नहीं पाये जाने के कारण या निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण करने के कारण 193 प्रकरण निरस्त किये जा चुके है । शेष 461 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 20-376/2000/सात-2ए,<br>दिनांक. 30.08.2000 | समिति अपेक्षा करती है कि शेष प्रकरणों पर न्यायालय के आदेश/ निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 32 | ता.प्र.सं.4<br>(क्रं.726)<br>दि.11.02.2000 | सतना स्थित मैहर सीमेंट फेक्ट्री के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के उपयोग हेतु डायवर्सन किये जाने का परीक्षण। | मैं यह दिखवा लूंगा। | सतना स्थित मैहर सीमेंट फेक्ट्री के लिये निजी भूमि अधिग्रहित की जाकर नहीं सौंपी गई है। फेक्ट्री का निर्माण शासकीय भूमि पर किया गया है इसलिए शासकीय भूमि के डायवर्सन का प्रश्न ही नहीं उठता। मैहर सीमेंट फेक्ट्री द्वारा ग्राम सोनवारी की आ.न. 2132, 2133, 2134, 2135 की काश्तकारों से भूमि क्रय की गई है। वर्ष 77-78 से डायवर्सन की राशि रू.702=50 एवं प्रीमियम 2685=85 निर्धारित किया गया है जिसकी वसूली की जा रही है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>आर-632/867/2001/सात-7,<br>दिनांक 31.10.2001 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 5. | 33 | परि.अता.प्र.सं.5<br>(क्रं. 875)<br>दि. 01.02.2000 | ग्राम लाडपुरा प.ह.नं. 15 तह.विजयपुर को सर्वे क्रं. 963 रकबा 0.230 हैक्टयर का पट्टा नियम विरूद्ध देने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही तथा उक्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण को समय सीमा में हटाया जाना। | 1. प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है एवं दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।<br>2. उस पर जो भी अतिक्रमण है उसको खाली करवायेंगे।<br>3. अब भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।<br>4. अतिक्रमण हटवायेगें।<br>5. जल्दी से जल्दी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी। | ग्राम लाडपुरा प.ह.नं. 15 तहसील विजयपुर की भूमि सर्वे क्रं. 963 रकबा 0.230 हेक्टयर का पट्टा अदा पुत्र रघुनंदन जाति रावत निवासी सुनवई को दिया गया था। उक्त पट्टा आदेश दिनांक 16.12.99 से निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। स्थल पर भूमि पर रास्ता है एवं भूमि खाली पड़ी है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 21-239/2000/सात/नजूल,<br>दिनांक 30.07.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 6. | 36 | परि.अता.प्र.सं- 76<br>(क्र. 2372)<br>दि. 11.02.2000 | तहसील उदयपुरा के वंटित भूमि वापसी हेतु मुआवजा राशि प्रदाय के लंबित प्रकरणों का निराकरण | यथाशीघ्र | तहसील उदयपुरा के ग्राम केवट पिपलिया रायसेन की अतिशेष भूमि का मुआवजा पाचों हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति रू. 345800/- के मान से कुल राशि 1729000/- का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 4 अप्रैल 2006 में किया जा चुका है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ नम्बर 20-178/2012/सात(शा-2)A<br>दिनांक 03.09.2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 58 | परि.अता. प्र.सं.115<br>(क्र. 6202)<br>दि. 06.03.2000 | तहसील लटेरी के ग्राम उनारसीकलां में अपात्र लोगों को भूमि के पट्टे देने के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र पर कार्यवाही की जाना। | जांच उपरांत विधिवत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। | तहसील लटेरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3अ-19/97-98 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2000 द्वारा ग्राम उनारसीकलां में 34 भूमिहीन व्यक्तियों को 61.900 हैक्ट. भूमि का वंटन किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी लटेरी द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्र-35/स्व निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक 25.08.2000 द्वारा कुल 34 पट्टेधारियों में से 03 पट्टेधारी क्रमश: रामप्रसाद पुत्र गोटू खसरा नं. 563/2 रकबा 2.000 जमना पुत्र गोटू खसरा नं. 733 रकबा 1.000 तथा तोरन पुत्र गोटू खसरा नं. 7 मि.रकबा 2.000 के पट्टे अपात्र पाये जाने से निरस्त किये गये।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 20/07/2011/सात-2ए,<br>दिनांक 02.05.2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 8. | 66 | ता. प्र.सं- 13<br>(क्र. 6922)<br>दि. 10.3.2000 | भोपाल अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा के विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि के खसरा क्र. 42 को न्यायालयीन स्थगन के बावजूद अधिग्रहण से मुक्त किये जाने की मांग। | जांच करा लेगें। | मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-117/97-सात-9 दिनांक 03.10.97 द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के अनुसार कुल अर्जित भूमि में से सर्वे क्रमांक 42 क्षेत्रफल 5.0661 है. (12.50 एकड़) अर्जन से मुक्त की गई है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>सी/2174/2000/सात-2ए, दिनांक 14.08.2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 9. | 68 | परि.अता. प्र.सं- 92<br>(क्र. 6981)<br>दि. 10.3.2000 | पिपल्याहाना में बख्तावर रामनगर इंदौर में संस्था द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जांच तथा दोषियों एवं अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यवाही। | 1. मौके पर यदि अन्य शास. भूमियों का उपयोग संस्था द्वारा किया गया हो तो उस संबंध में मौके पर सीमांकन के पश्चात ही स्थिति ज्ञात हो सकेगी । सीमांकन के लिए दल का गठन किया जा रहा है और सीमांकन आदेश जारी किये जा चुके हैं।<br>2.सीमांकन के पश्चात स्थिति स्पष्ट होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। | पिपल्हाना स्थित सर्वे नंबर 147/2 की भूमि राजस्व रिकार्ड में मरघट भूमि के रूप में दर्ज है जिसके अंशभाग पर 9-10 साल पहले दो व्यक्तियों द्वारा तारफेसिंग कर अतिक्रमण किया था जिसे तत्समय ही हटा दिया गया था। वर्तमान में इस भूमि पर बगीचा बना होकर आमजन के बैठने की व्यवस्था है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 20/157/2009/सात/2ए,<br>दिनांक 23.02.2013 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 69 | परि.अता. प्र.सं- 112 (क्र. 7243) दि. 10.3.2000 | न्यू दशहरा मैदान नार्थ टी.टी.नगर की बाउन्ड्रीवाल से लगी अस्थायी दुकानों को हटाया जाना. | कलेक्टर द्वारा चाही गई जानकारी नगर निगम से प्राप्त होने पर स्थल चयन इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी. | स्थल पर मौके की स्थिति जानकारी प्राप्त की गयी पाया गया कि न्यू दशहरा मैदान नार्थ को नगर निगम द्वारा लीज पर आवंटित की गई है. कुछ दुकानों को टी.टी.नगर स्टेडियम से हटाकर नगर निगम द्वारा दशहरा मैदान की बाउन्ड्रीवाल के पास अस्थाई तौर पर बसाया गया है.<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 21-70/2000/सात<br>दिनांक 17-09-2012 | समिति का स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की समस्त अस्थाई तौर पर कराई गई बसाहट के संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए। अस्थाई बसाहट की एक निश्चित समय-सीमा भी होना आवश्यक है, इसे असीमित अवधि के लिए जारी रखने से अन्यान्य विसंगतियां उत्पन्न होती हैं एवं अपरोक्ष रूप से अतिक्रमण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ही मिलता है । समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि इस दिशा में कार्यवाही करते हुये दो माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जायेगा। |
| 11. | 70 | परि.अता. प्र.सं- 119 (क्र.7302) दि.10.03.2000 | बालाघाट नगर में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि. एवं शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाना. | अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी. | बालाघाट नगर में शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र बालाघाट की भूमि ख.नं. 299,300/2क309/ 2,302,303/9,303/2 304/1-2, 307, 308, 309, रकबा 22.07 एकड़ भूमि पर 14 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसमें से 2 अतिक्रमकों का अतिक्रमण हटाया गया है. शेष 12 अतिक्रमकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ21-28/2003/सात नजूल,<br>दिनांक 05-03-2003 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## वन विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 12. | 79 | अता. प्र.सं- 65 (क्र. 4393) दि.06.03.2000 | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1993-97 की अवधि में उत्तर सामान्य/वन मंडल बैतूल के गवासेन परिक्षेत्र के अंतर्गत बांस पुनर्रूत्पादन योजना के तहत पाई गई अनियमितताओं में जांच उपरांत कार्यवाही। | जांच पूर्ण होने के उपरांत स्थिति स्पष्ट होगी। | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. द्वारा प्रकरण की जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच में प्रथम दृष्टया किसी अपराध का घटित होना नहीं पाया जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.10.2001 को ब्यूरो में नस्तीबद्ध कर दिया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>ए1545/440/2011/10-4,<br>दिनांक 15-06-2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 13. | 111 | ता.प्र.सं.20 (क्र.31) दि.07.02.2000 | सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र ग्राम कुठार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में टिशू कलर लेब के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाना। | राशि उपलब्ध हो गई इसलिये शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा । | प्रक्षेत्र कुठार स्थित टिशू कलर लेब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका उदघाटन दिनांक 10.04.2004 को मा.तत्कालीन कृषि मंत्री महोदय के द्वारा किया जा चुका है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>बी-10/2/2000/14-2,<br>दिनांक 18.06.2004 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 14. | 116 | ता.प्र.सं.63 (क्र.2085) दि.14.02.2000 | पथरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बटियागढ़ में कृषि मंडी के निर्माण कार्यो को पूर्ण किया जाना । | तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, उसके निष्कर्ष के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जाना संभव हो सकेगा । | राज्य शासन द्वारा धनश्यामपुरा में उपमंडी बटियागढ़ के अधिसूचित प्रागंण के समग्र विकास हेतु बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत मंडी बोर्ड के 12 विभिन्न विकास कार्य राशि रू.292.59 लाख के तथा म.प्र.राज्य विपणन संघ मर्यादित के 09 विभिन्न कार्य राशि रू.142.75 लाख के कराये जा रहे है, जिनमें कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा शेष कार्य माह जून 2013 तक पूर्ण होना संभावित है ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>1302/01/14-3,<br>दिनांक 04.06.2013 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 15. | 124 | ता.प्र.सं-22 (क्र. 2708) दि. 06.03.2000 | बीज निगम के तत्कालीन प्रबंधक उत्पादन श्री एम.पी. सिंह, प्रबंधक उत्पादन द्वारा इकोफिट (ट्राईकोडर्मा बिर्डी) दवा खरीदी प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही. | दोष सिद्ध होने पर ही इनके विरूद्ध यथायोग्य कार्यवाही की जाना संभव होगा.. | श्री एम.पी.सिंह प्रबंधक उत्पादन के विरूद्ध इकोफिट (ट्राईकोडर्मा बिर्डी) दवा खरीदने के लिये तकनीकी अनुशंसा करने के लिए इनके विरूद्ध आरोप पत्रादि बीज निगम के ज्ञाप दिनांक 14.7.2000 से जारी किया जाकर निगम के आदेस दिनांक 31.8.2004 से श्री एस.सी त्रिवेदी क्षेत्रीय प्रबंधक, इंदौर को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन 3 माह में चाहा गया.श्री एम.पी.सिंह के सहयोग न करने से जांचकर्ता अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही प्रारंभ की जाकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 4.3.2005 को प्रस्तुत कर दिया है. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत जांच प्रतिवेदन की प्रति अपचारी अधिकारी की ओर दिनांक 15.4.2005 को भेजा गया.श्री एम.पी. सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर निगम द्वार पुनः दिं. 08.07.05 को स्मरण पत्र भेजकर 7 दिवस का समय दिया गया है. श्री एम.पी.सिंह. से अभ्यावेदन दि. 11.08.05 को प्राप्त हो गया है. अभ्यावेदन में श्री सिंह ने जांच प्रतिवेदन पर असहमति व्यक्त की है.अतः आरोप पत्र पर प्रबंध संचालक का अभिमत तैयार कर निगम के संचालक मंडल की दिनांक 25.2.2006 को आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा गया था. संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत श्री एम.पी. सिंह प्रबंधक उत्पादन (सेवा से पृथक) को दोषी पाये जाने के उपरांत निगम के आदेश दिनांक 9.6.2006 से राशि रु. 7,86,875.59 के वसूली आदेश जारी किये गये है.<br>**अद्यतन स्थिति-** (1) श्री एम.पी. सिंह (सेवा से पृथक) के विरूद्ध पारित वसूली आदेश माह जून 2006 में निहित वसूली की राशि रु. 7,86,876/- (पूर्णांक) में से | कोई टिप्पणी नहीं |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | भुगतान योग्य ग्रेच्युटी एवं उत्पादन की राशि रु. 2,43,014/- के समायोजन उपरान्त शेष राशि रु. 5,43,862/- की वसूली की जाना शेष है.<br>(2) चूंकि श्री एम.पी. सिंह सेवा से पृथक हो चुके है बीज निगम के पास वसूली करने के लिये इनके कोई स्वत्व लंबित नहीं है अतः उनकी चल अचल संपत्ति से ही राशि की वसूली संभव है. इसे देखते हुए वसूली की कार्यवाही में गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर, भोपाल को राजस्व वसूली करने के लिए प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र.1699, दिनांक 19.06.2013 द्वारा भेजा गया है तथा प्रस्ताव भेजने के उपरांत कार्यालयीन पत्र क्र.2409, दिनांक 25.07.2013, पत्र क्र. 2674, दि.02.08.13, पत्र क्र.3113, दिनांक 26.08.13, पत्र क्र.4809, दिनांक 05.11.2013 शासन का पत्र क्र. बी-10-51/2000/14-2, दिनांक 27.11.2013, पत्र क्र. 1568, दिनांक 12.06.2014 एवं पत्र क्र.2781, दिनांक 22.07.2014 द्वारा स्मरण भी कराया गया।<br>(3) श्री एम.पी.सिंह की वसूली योग्य राशि की वसूली राजस्व वसूली के तौर पर ही की जाना संभव है तथा वसूली की कार्यवाही कलेक्टर भोपाल द्वारा ही की जाना है। इसे देखते हुए समय-समय पर निगम एवं शासन द्वारा पत्राचार भी किया गया है।<br>(4) कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा श्री एम.पी.सिंह(सेवा से पृथक) के विरूद्ध वसूल की जाने वाली राशि की वसूली भू-राजस्व के तौर पर करने के लिए दिनांक 18.07.14 को डिक्री पारित की गई है, परन्तु श्री एम.पी.सिंह द्वारा वसूली के विरूद्ध मा.उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्र. 11655/2014 दायर की गई है। निगम की ओर से दिनांक 16.10.14 को याचिका का जवाबदावा तैयार कर मा.न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि मा.न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस आधार पर राजस्व विभाग द्वारा वसूली पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>बी-10-51/2000/14-2,<br>दि. 10-07-2015 | |
| 16. | 125 | ता.प्र.सं-44<br>(क्र. 4465)<br>दि. | 31.12.88 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण। | नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। | म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर परिपत्र दिनांक 06.12.2000 को जारी किये जा चुके हैं। तदानुसार मण्डी समितियों में निराश्रित मद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का पात्रता व नियमानुसार प्रकरणवार कार्यवाही मण्डी समिति स्तर से जारी है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>डी-10/86/2000/14-3,<br>दि. 17.9.2002 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# सहकारिता विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 17. | 137 | परि.अता.प्र.सं-76 (क्र. 2436) दि. 14.02.2000 | वर्ष 1995 से 1998 तक तिलहन संघ को हानि पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही। | हानि के संबंध में सहकारी अधिनियम की धारा-43 (बी) के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु संघ को निर्देशित किया है संघ से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी. | हानि के संबंध में सहकारी अधिनियम की धारा-43 बी के अन्तर्गत हानि के कारणों के जांच हेतु प्रस्ताव आगामी आमसभा में प्रस्तुत किया जायेगा.<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-10-40/2000/15-1<br>दिनांक 03-03-2005 | कोई टिप्पणी नहीं |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# आवास एवं पर्यावरण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 18. | 160 | ता.प्र.सं-13<br>(क्र. 6671)<br>दि. 13.03.2000 | सागर अंतर्गत पं. दीनदयाल नगर गम्भीरिया में भवनों में अमानक स्तर के निर्माण कार्य की जांच तथा उक्त नगर में निर्मित शाला भवन में निजी संस्थाओं को शाला चलाने की अनुमति प्रदान की जाना। | 1. प्राथमिकता के आधार पर परीक्षणोपरांत कार्यवाही करेगें।<br>2. जो शाला भवन बना है उसमें शाला चालू करने के लिए ऑफर निकालेगें । उसमें जो संस्थायें आगे आयेगी उसके माध्यम से शाला चालू करवायेंगे। | 1. पं. दीनदयाल नगर गंभीरिया में भवनों के अमानक स्तर के निर्माण के संबंध में 4 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई एवं जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर चारों अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है। एक अधिकारी जिन्हें वर्ष 2002 में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा चुका था, इनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी।<br>2. प्रखर प्रज्ञा शिक्षा समिति, सागर को शाला भवन संचालित करने हेतु आवंटित भवन एवं भूखण्ड का आधिपत्य दिनांक 04.10.2004 को संस्था को सौंप दिया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक** :-<br>एफ-20-9/2004/32-1,<br>दिनांक 22-10-2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च सत्र 2000
## गृह(पुलिस) विभाग

<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या,<br>प्रश्न क्रमांक,<br>दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>170</td><td>परि.अता.प्र.सं-57<br>(क्र. 2005)<br>दि. 14.02.2000</td><td>परिवहन मंत्री स्वर्गीय श्री लिखीराम कांवरे की हत्या में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।</td><td>जांच उपरांत जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।</td><td>जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही निम्नानुसार हैं:-
<table>
<tr><td>1</td><td>श्री अतुल प्रकाश लदेर,<br>तत्का.रक्षित निरी. बालाघाट</td><td>वि.जां. उपरांत एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से कमी करने का दण्ड दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री डी.आर. आसटकर<br>जिला विशेष शाखा बालाघाट</td><td>घोर निंदा की सजा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री बी.पी. पाठक<br>क्षेत्राधिकारी विशेष शाखा बालाघाट</td><td>घोर निंदा की सजा।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री एस.आर.मर्सकोले<br>विशेष शाखा नक्सलाईट बैहर</td><td>घोर निंदा की सजा।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्र.आर. शिवमूर्ति उपाध्याय<br>विशेष शाखा नक्सलाईट बैहर</td><td>घोर निंदा की सजा।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री अजय शुक्ला<br>उ.नि.तत्का. थाना प्रभारी किरनापुर</td><td>विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>कंपनी कमांडर एक कंपनी 6वीं वाहिनी व प्र.आर. 304 जनार्धन, आर. 436 राजेश इक्का, आर. 26 तुलसीराम एवं आर. 809 भीमबहादुर 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर</td><td>सेनानी 6वीं वाहिनी वि.स.बल जबलपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक : -<br>5906/2005/बी-11/दो,<br>दिनांक 17-07-2005</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
</table>

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 173 | स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा<br>दि. 14.02.2000 | दि.13.2.2000 को जिला दमोह के थाना गैसावाद में पुलिस फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत की न्यायिक जांच तथा पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान तथा सन् 1990 से 1999 तक की विभिन्न घटनाओं की न्यायिक जांच तथा अनुग्रह राशि का भुगतान। | राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गैसाबाद में घटित घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए तथा मृतक रामचरण के परिवार को एक लाख रूपये राज्य शासन प्रदाय करेगा। | घटना की न्यायिक जांच पूर्ण हो चुकी है।<br>मृतक रामचरण की विधवा श्रीमती सुनीता, निवासी गैसाबाद को रू. एक लाख की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 440367 दि. 18.01.01 द्वारा कलेक्टर दमोह द्वारा प्रदाय की गई है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक : -**<br>1840/2008/सी-1,<br>दिनांक 30-04-2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 21. | 194 | ध्यानाकर्षण सूचना<br>दि. 10.03.2000 | स्व. श्री राजेन्द्र सेन सिपाही न. 2803738 को जम्मू क्षेत्र में पदस्थी के दौरान मृत्यु होने पर उनकी विधवा को महिला एवं बाल विकास में नियुक्ति दी जाना। | मानवीय आधार पर जो पात्रता होगी जो शिक्षा होगी उस शिक्षा के अनुसार उनको महिला एवं बाल विकास सतना में नियुक्ति देने के लिये आदेश जारी कर देंगे। | स्व. श्री राजेन्द्र सेन 16 मद्रास रेजिमेन्ट के सिपाही है। इनकी मृत्यु सर्प दंश से हुई है। राज्य शासन के नियमों में उनकी विधवा को नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 13-5/2008/दो ए(3),<br>दिनांक 30-05-2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 22. | 202 | परि.अता.प्र.सं-10<br>(क्र. 4120)<br>दि. 13.03.2000 | सोहागपुर के थाना प्रभारी द्वारा जांच में लापरवाही के संबंध में दि. 9.12.99 को की गई शिकायत की जांच तथा कार्यवाही। | जांच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। | सी.आई.डी. द्वारा अपराध क्र.-247/99 धारा 363 भा.द.वि., के अन्वेषण में चालान योग्य साक्ष्य नहीं पाये जाने से दिनांक 29.8.2003 को खात्मा किया गया हैं। अपहृता के स्वेच्छा से जाने के कारण कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>671/2447/2011/बी-1/दो,<br>दिनांक 10-02-2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 23. | 203 | अता.प्र.सं-16<br>(क्र. 4970)<br>दि. 13.03.2000 | थाना कोतवाली रीवा क्षेत्रान्तर्गत दि.07.09.99 को श्री पुष्पेन्द्र सिंह के गुम (लापता) होने संबंधी प्रकरण की विशेष जांच दल से जांच कराई जाना। | विवेचना में आए साक्ष्य के आधार पर विशेष जांच दल गठित करने के बारे में निर्णय लिया जावेगा। | गुमशुदा पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी करिया थाना बिलौर की तलाश एवं जांच हेतु एक टीम का गठन किया गया है जिसमें वरिष्ठ अमले को रखा गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ 13-590/05/बी-1/दो,<br>दिनांक 21-07-2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 211 | ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 28.3.2000 | दि.20.01.2000 को भोपाल नगर निगम में पार्षदों की पिटाई की घटना की जांच तथा कार्यवाही. | न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाये फिर उसमें जो स्थिति बनेगी हम कार्यवाही करेंगे. | नगर निगम परिषद पद के चुनाव के दौरान भाजपा पार्षदों के विरूद्ध तत्कालीन परिस्थितियों में बल प्रयोग को न्याय संगत ठहराने के लिये उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध किये गये थे. प्रकरण में राज्य शासन द्वारा न्यायिक जांच की घोषणा की गई थी. न्यायिक जांच मा. न्यायाधिपति श्री एस.के.दुबे द्वारा की थी. किन्तु प्रकरण में लगभग 6 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी न्यायिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए. प्रकरण में जब तक न्यायिक जांच में यह निष्कर्ष नहीं आता है कि किन लोगों का कृत्य अपराधिक कृत्य की सीमा में आता है तब तक किसी भी प्रकरण में चालानी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है. सबब कता किये जाने के आदेश पर थाना तलैया में पंजीबद्ध अप.क्र.30/2000 में खात्मा क्र. 84/06 दिनांक 05.12.06<br>अप.क्र.31/2000 में खात्मा क्र. 85/06 दिनांक 05.12.06<br>अप.क्र.32/2000 में खात्मा क्र. 86/06 दिनांक 05.12.06<br>अप.क्र.33/2000 में खात्मा क्र. 87/06 दिनांक 05.12.06<br>अप.क्र.34/2000 में खात्मा क्र. 83/06 दिनांक 05.12.06<br>अप.क्र.38/2000 में खात्मा क्र. 88/06 दिनांक 05.12.06 कता किया गया.<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>4911/4927/2011/बी-1/दो,<br>दिनांक 28-07-2011<br><br>न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षो, सुझावों एवं अनुशंसाओं के प्रतिवेदन पर निर्णय हेतु मंत्रि-परिषद समिति का गठन दि.01.04.2015 को किया गया। समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारण करने के लिए समिति के अध्यक्ष को दिनांक 29.04.2015 एवं 01.07.2015 को लिखा गया है। समिति की बैठक उपरांत गुण दोषों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-34-65/2011/दो/सी-2,<br>दिनांक 03.07.2015 | मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हुए निर्णय और जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही की स्थिति से यथा समय समिति को भी अवगत कराया जाए। |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# जन शिकायत निवारण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 25. | 223 | ता.प्र.सं-24<br>(क्र. 879)<br>दि. 07.02.2000 | निजी रसोई गैस की कंपनी में अपेन्जल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चंडीगढ़ तथा उसके मध्यप्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स भारत पेट्रोलियम गैस सर्विसेस द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी के संबंध में महाराणा प्रताप नगर के दर्ज प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी। | अभियुक्तों को बंदी बनाने का प्रयास जारी है। | दिनांक 23.06.1995 को भारत पेट्रोलियम एजेंसी के विरूद्ध थाना एम.पी.नगर में अपराध क्र. 142/95 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था । विवेचना दौरान कुल 08 आरोपी 1. सुरेन्द्र सिंघल 2. लक्ष्मण सिंह राठौर 3. अतुल कुमार त्रिपाठी 4. कपिल कुमार त्रिपाठी 5. राकेश लाड 6. मूल सिंह तंवर 7. श्रीमती गीता त्रिपाठी 8. सुजेश श्रीवास्तव के विरूद्ध फरारी में धारा 299 जाफौ. के तहत चालान क्र. 413/02 दिनांक 30.12.02 को मजिस्ट्रेट श्री रामेश्वर कोटे के न्यायालय में आरटी नं. 8035/02 दिनांक 31.12.02 को पेश किया जा चुका है।<br>प्रकरण वर्तमान में श्रीमान आशीष ताम्रकार जेएमएफसी भोपाल के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें वर्तमान में तारीख पेशी दिनांक 04.07.11 नियत है। प्रकरण में आरोपी सुजेश श्रीवास्तव दिनांक 14.09.04 को श्रीमान विनोद कुमार दुबे जेएमएफसी भोपाल के समक्ष स्वत: न्यायालय में पेश हुआ था । उक्त प्रकरण में वर्तमान में दो आरोपी सुजेश श्रीवास्तव एवं श्रीमती गीता त्रिपाठी न्यायालय में पेशियों पर उपस्थित हो रहे है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है , कोई आरोपी दोषमुक्त या बरी नहीं हुये है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>1093/33/53/2011,<br>दिनांक 27-05-2011 | कोई टिप्पणी नहीं |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# वाणिज्यिक कर विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 26. | 237 | ता.प्र.सं-07<br>(क्र. 750)<br>दि. 06.03.2000 | अशोक ट्रेडिंग कंपनी सेमरिया चौक सतना को वृत्त-1 से ''सी'' फार्म एवं ''एफ'' फार्म जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही । | लापरवाही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। | अशोक ट्रेडिंग कपंनी सेमरिया चौक सतना को ''सी'' एवं ''एफ'' फार्म जारी के संबंध में श्री के.आर. झारिया, तत्कालीन वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना, वृत्त-1 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है ।<br>अत: मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील के नियमों के अंतर्गत आरोप पत्र ज्ञाप 649 दिनांक 23.10.01 द्वारा जारी किया जा चुका है ।<br>छत्तीसगढ के पुर्नगठन के फलस्वरूप श्री के.आर. झारिया तत्कालीन, वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना की विभागीय जांच नस्ती क्रमांक 80/2000/4-डी/तेईस को आगामी कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर आयुक्त, छत्तीसगढ रायपुर को हस्तांतरित की गई थी । श्री के.आर. झारयिा, तत्कालीन, वाणिज्यिक कर अधिकारी सतना, वृत्त 1 के विरूद्ध विभागीय जांच में वाणिज्यिक कर आयुक्त छत्तीसगढ द्वारा आदेश क्रमांक 23/2000/4-डी/दस/82, रायपुर दिनांक 03.05.2003 से अंतिम निर्णय किया जाकर प्रकरण बिना दण्ड के समाप्त किया जा चुका है ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक** :-<br>एफ, ए 12-11/2000/1/पांच,<br>दिनांक 05-07-2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# विधि और विधायी कार्य विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 27. | 239 | परि.अता.प्र.सं.30 (क्रं.4046) दि. 06.03.2000 | शहडोल में लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित रामगोपाल बस सर्विस के वाहन चालक श्री महाजन बहेलिया की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी को राहत राशि की स्वीकृति। | मुआवजा हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कलेक्टर शहडोल से विस्तृत रिपोर्ट चाही गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव विधि मंत्रालयकोसहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए भेजा जावेगा। | कलेक्टर शहडोल से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है। उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2000 को मुआवजा हेतु भारत सरकार, विधि और न्याय कंपनी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया है। प्रकरण लोक सभा चुनाव से संबंधित होने के कारण मुआवजे की स्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा ही प्राप्त होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा पृष्ठांकित की जावेगी तदोपरान्त संबंधित को भुगतान हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 11/2000/3/विसप्र/(3)218, दिनांक 07.08.2000 | मृतक की पत्नी को राहत राशि दी जाने की अद्यतन जानकारी हेतु विभाग से अनेक पत्राचार किये गये, परन्तु जानकारी अप्राप्त है। समिति इस उपेक्षा पूर्ण कार्यवाही की विभाग से अपेक्षा नहीं करती। समिति की अपेक्षा है कि दो माह की अवधि में की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराते हुये विलंब के दोषियों पर भी कार्यवाही की जाए। |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
# पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 28. | 250 | परि.अता.प्र.सं-48 (क्र. 3230) दि. 22.02.2000 | श्योपुर जिलान्तर्गत वर्ष 96 से 99 तक मिलीवाटरशेड राजीव गांधी जलग्रहण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य में अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही। | एक शिकायत वाटरशेड कार्यों में अनियमितता के संबंध में प्राप्त हुई है, जिस पर जांच जारी है। | शिकायत की जांच श्री व्ही.के. बैस कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना मुरैना, से कराई गई। जांच में शिकायत फर्जी पाई गई एवं शिकायत में उल्लेखित किसी भी बिन्दु की जांच में पुष्टि नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 7277/22/वि-9/आर.जी.एम./2013, दिनांक 21.06.2013 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 29. | 266 | ता.प्र.सं-22 (क्र. 345) दि. 08.02.2000 | सागर नगर में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्राप्त राशि को अन्य मदों में व्यय किए जाने की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | मैं उन्हें आश्वास्त करता हूँ कि इस गंभीर मामले की जांच निश्चित रूप से होगी और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसको जांच के बाद दण्डित करेंगे। | आयुक्त, नगर निगम सागर को जांच करने के निर्देश दिए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 6210/08/18-1, दिनांक 18.07.2008 | आयुक्त, नगर निगम सागर द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से समिति को दो माह की समयावधि में अवगत कराया जाए। |
| 30. | 267 | परि.अता.प्र.सं-36 (क्र. 1093) दि. 08.02.2000 | नगर पालिका गोहद की सड़कों के डामरीकरण के लिये स्वीकृत राशि का दुरूपयोग करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही। | प्रकरण की जांच उपरांत दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा। | प्रकरण में दोषी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र जैन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 2670/08/18-1, दिनांक 10.06.2008 | श्री सुरेशचन्द्र जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी से समिति को दो माह में अवगत कराया जाए। |
| 31. | 269 | ध्यानाकर्षण सूचना दि. 08.02.2000 | इंदौर जिले के चार तालाबों क्रमश: रमनी स्थनि, बिलावली, पिपलिया पाला एवं यशवंत सागर तथा अन्य कीमती शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना। | मैं कमिश्नर को वहां पर निर्देशित करूंगा कि एक बार यहां से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। बिना किसी रूकावट उसको तत्काल हटाया जाए। | अतिक्रमण हटाकर व्यवस्थापना किये जाने के लिये भूमि की मांग कलेक्टर से क्रमश: वर्ष 2004 और 2005 में की गई है। भूमि प्राप्त नहीं होने से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। प्रकरण में विभाग के स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 5016/08/18-1, दिनांक 04.07.2008 | जनसामान्य के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं बेशकीमती शासकीय भूमि पर अबाध रूप से बेरोकटोक किये जाने वाले अतिक्रमण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। मानवीय आधार पर बसाहट की इस तरह की प्रक्रिया को बाद में वैधानिक स्वरूप प्रदान किये जाने से अपरोक्ष रूप से भू-माफियाओं का ही पोषण होता है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति सिफारिश करती है कि :-<br>1. इस प्रकार की समस्त सार्वजनिक/ शासकीय परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक निश्चित प्राधिकार तथा समय-सीमा निर्धारित की जाये।<br>2. ऐसी परिसम्पत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण के दौरान उस क्षेत्र में पदस्थ संबंधित विभाग के अमले के विरूद्ध लापरवाही बरतने पर दाण्डिक कार्यवाही का प्रावधान किया जाये।<br>3. अतिक्रामकों के विरूद्ध भी कठोर दाण्डिक कार्यवाही के प्रावधान के साथ ही उन्हें प्रदत्त की जाने वाली नि:शुल्क जन सुविधाओं से वंचित रखा जाये। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 270 | ता.प्र.सं-09<br>(क्र. 1165)<br>दि. 15.02.2000 | दमोह नगर पालिका की मेन कमर्शियल भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना। | 1. अगर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण किये हैं और अगर अतिक्रमण सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से ये अतिक्रमण कितने भी वजनदार आदमी का हो हटाया जायेगा। इसमें कोई कोताही नहीं की जायेगी।<br>2. अवैध कब्जे को हटाने के लिए संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। | नगर पालिका क्षेत्र में से 80 अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। 30 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं 260 अतिक्रमणधारियों को नोटिस जारी किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>1371/08/18-1,<br>दिनांक 02.04.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 33. | 273 | परि.अता.प्र.सं.23<br>(क्रं.1166)<br>दि. 15.02.2000 | वित्त वर्ष 94-95 से 99-2000 तक न.पा. परिषद दमोह द्वारा विधायक सांसद निधि का अन्यत्र उपयोग किए जाने की जांच तथा इस हेतु जवाबदारी नियत की जाना। | प्रकरण में जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर जवाबदारी निश्चित की जायेगी। | प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिका दमोह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण तत्समय 2,75,000 की राशि कर्मचारियों को वेतन भुगतान में व्यय कर दी गई थी। इस राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। नगर पालिका दमोह ने सांसद और विधायक निधि के समस्त कार्य पूर्ण कर दिये है। कोई भी कार्य शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग के स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>2505, दिनांक 02.04.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 34. | 279 | ता.प्र.सं.20<br>(क्रं. 2853)<br>दि. 22.02.2000 | वर्ष 1999 में गोहद नगर पालिका द्वारा लगभग चार लाख रूपये की विद्युत सामग्री का समाचार पत्रों में टेण्डर प्रकाशित किए बिना क्रय करने वाले दोषी तत्कालीन सी.एम.ओ. श्री सुरेश के खिलाफ जांच तथा निलंबन की कार्यवाही। | 1. मैं सुरेश जैन के खिलाफ जांच के आदेश देता हूँ।<br>2. अब उनको निलंबित करना ही पड़ेगा, गंभीर अपराध किया है। | म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 1-4-63/18-1/2000 दि. 22.2.2000 से श्री सुरेश चन्द्र जैन, स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>835/08/18-1,<br>दिनांक 14.03.2008 | श्री सुरेशचन्द्र जैन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी से समिति को दो माह में अवगत कराया जाए। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 289 | परि.अता.प्र.सं.92 (क्रं. 6101) दि.06.03.2000 | न.पं. गढ्ढी मलहरा को निर्यात कर की वसूली न करने संबंधी संचालनालय के पत्र दि. 01.05.97 एवं 09.05.97 में सक्षम स्वीकृति दिए जाने की जांच एवं इससे निकाय को लगभग चार लाख रूपए की क्षति के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं क्षति की पूर्ति की जाना। | (1) प्रकरण में जांच की जा रही है । जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।<br>(2) प्रकरण में जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। | प्रकरण परीक्षणाधीन होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>5009/08/18-1,<br>दिनांक 04.07.2008 | नगर पंचायत गढ्ढी मलहरा को निर्यात कर की वसूली न करने के परीक्षणाधीन प्रकरण पर की गई कार्यवाही की स्थिति से समिति को दो माह में अवगत कराते हुये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। |
| 36. | 294 | ता.प्र.सं. 4 (क्रं. 5319) दि.07.03.2000 | भिण्ड जिले की मौ नगर पंचायत में जनवरी 1999 से दिसम्बर 1999 तक सक्षम स्वीकृति के बगैर सामग्री क्रय एवं मरम्मत पर किए गए व्यय की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही। | सक्षम स्वीकृति के बगैर व्यय के बारे में जांच करायी जा रही है । जांचोपरांत नियमानुसार योग्य कार्यवाही की जावेगी। | सक्षम स्वीकृति के बगैर व्यय के बारे में जांच में दोषी पाए जाने पर श्री लाल सिंह तोमर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>3174/2012/18-1,<br>दिनांक 20.9.2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 37. | 295 | परि.अता.प्र.सं. 35 (क्रं. 4795) दि. 07.03.2000 | सिंगरौली नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित शिवाजी काम्पलेक्स में दुकान क्र. 102 से 107 तक किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना। | वर्तमान में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। | शिवाजी काम्पलेक्स में दुकान क्रमांक 102 से 107 तक के बरामदे में किए गए अतिक्रमण को हटाकर बरामदे को रिक्त करा दिया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>2967/194/2012/18-2,<br>दिनांक 03.9.2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 38. | 296 | परि.अता.प्र.सं.43 (क्रं. 5221) दि.07.03.2000 | मौ न.पं. में बस स्टेण्ड के समीप बावड़ी वाली जगह में बिना नामांतरण के 12 प्रकरणें एवं अन्य एक प्रकरणों की भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | प्रकरण की जांच की जा रही है तथा दोषियों को दंडित किया जायेगा। | प्रकरण में जांच की गयी है। प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>4016/08/18-1,<br>दिनांक 30.06.2008 | मौ नगर पंचायत में बिना नामातंरण के भवन बनाये जाने की प्रक्रियाधीन जांच के पश्चात् प्रकरण पर की गई कार्यवाही की स्थिति से समिति को दो माह में अवगत कराते हुये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 300 | अता.प्र.स. 26<br>(क्रं. 4799)<br>दि. 07.03.2000 | नगर निगम सिंगरौली द्वारा तीन कास्य मूर्तियों की अधिक मूल्य पर क्रय किये जाने की जांच तथा दोषियों को दंडित किया जाना। | मूर्तियां अधिक कीमत पर क्रय करने के संबंध में जांच की जा रही है । जांच में दोषी पाये जाने वाले को दंडित किया जाएगा। | प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन में परीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। इस कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>5013/2008/18-1,<br>दिनांक 04.07.2008 | नगर निगम सिंगरौली में कांस्य मूर्तियों की खरीदी के परीक्षणाधीन जांच प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की स्थिति से समिति को दो माह में अवगत कराया जाये। |
| 40. | 301 | ता.प्र.स. 2<br>(क्रं. 7618)<br>दि. 14.03.2000 | बालाघाट नगर पालिका के कर्मचारी की जी.पी.एफ. कटौत्रा राशि को उनके खाते में जमा न कराये जाने की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | इस तरह के अपवंचन के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं तो जांच करवायेंगे और निश्चित रूप से दंडित करेंगे। | नगर पालिका बालाघाट द्वारा नगर पालिका निधि एवं संचित निधि से राशि आहरण कर निकाय के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के कटौत्रे की राशि रूपये 32,75,798/- संबंधित कर्मचारियों के खाते में जमा करा दी गई है। श्री एम.के चौरसिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनांक 28.09.2007 को एवं श्री बी.सी. बरकड़े, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनांक 30.04.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>1047/1953/2013/18-1,<br>दिनांक 03.06.2013 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 41. | 302 | ता.प्र.सं.9<br>(क्रं.6637)<br>दि.14.03.2000 | काटजू अस्पताल भोपाल के सामने के सामने स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर के प्रस्तावित नक्शे में परिवर्तन कर दुकान बना लिये जाने की जांच तथा कार्यवाही एवं लीज डीड की शर्तो से हटकर परमीशन देने वाली दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही। | (1) लोकायुक्त के आदेशानुसार जो भी निर्णय होगा उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी।<br>(2) लोकायुक्त की जांच पूर्ण होने पर नस्ती आयेगी, विभाग को वापिस तो इस बिंदु पर हम जांच करवा लेंगे। | प्रकरण लोकायुक्त में प्रचलित होने के कारण कोई कार्यवाही संभव नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>5012/08/18-1,<br>दिनांक 04.07.2008 | विचाराधीन मामले में लोकायुक्त कार्यालय में प्रचलित मामले में अंतिम स्थिति की जानकारी समिति को अंत तक प्राप्त नहीं हो पाई है, समिति को प्रेषित लिखित जानकारी में यह आश्वस्त किया गया था कि लोकायुक्त में जो निर्णय होगा मामले में तदनुसार कार्यवाही होगी। समिति चाहेगी की लोकायुक्त द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा उस पर विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से समिति को 02 माह के भीतर अवगत कराया जाए। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 305 | अता.प्र.सं.49<br>(क्रं. 6977)<br>दि.14.03.2000 | बखतावर रामनगर इन्दौर में शासन निर्देशानुसार विद्यालय, उद्यान, सड़क एवं अन्य निस्तार सुविधा संबंधी जगह न छोड़ने के लिये कालोनाईजर/संस्था के विरूद्ध कारवाई । | नगर निगम इंदौर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । | न.नि. इंदौर ने कालोनाइजर को दि.20.10.05 से कालोनी में नियमानुसार भूमि रिक्त करने को लिखा गया। इसके विरूद्ध संस्था ने न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। इस कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>1268/08/18-2,<br>दिनांक 17.04.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 43. | 306 | परि.अता.प्र.सं.74<br>(क्रं. 7514 )<br>दि.14.03.2000 | नगर पंचायत जौरा के अध्यक्ष के विरूद्ध वर्ष 96 में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर तत्कालीन संयुक्त संचालक नगर प्रशासन द्वारा स्थगन पर निर्देश दिए जाने की जांच तथा कार्यवाही । | 1. प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।<br>2. जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । | प्रकरण की जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री आर.सी. जोशी ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 57 के तहत आहूत किये गये विशेष सम्मेलन को नियमों के विपरीत होने से निर्देश दिए हैं । तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी को मौखिक निर्देश की पुष्टि संचालनालय तथा शासन से प्राप्त करने के पश्चात ही सम्मेलन को निरस्त करना था । मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>2505/08/18-1,<br>दिनांक 02.06.2008 | समिति चाहेगी कि प्रकरण में दोषी के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से 02 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाये । |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 44. | 325 | ता.प्र.सं-03 (क्र. 1000) दि. 09.02.2000 | भाण्डेर स्वास्थ्य केन्द्र में विभागवार विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति। | यथाशीघ्र | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार सा.स्वा.केन्द्र, भाण्डेर, जिला दतिया में पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना, स्त्री रोग, शल्य क्रिया, शिशु रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध निम्नलिखित चिकित्सक कार्यरत हैं:-<br>1. डॉ पी.एल. परिहार दिनांक 19.9.2004 से<br>2. डॉ. डी.एस. राणा दिनांक 22.7.2004 से<br>3. डॉ. रूचि राणा दिनांक 22.7.2004 से<br>4. डॉ. आर.के. पूर्विया दिनांक 15.7.2005 से<br>5. डॉ. राजेन्द्र सिंह परिहार दिनांक 18.8.2002 से<br>6. डॉ. एम.एम. शाक्य, पीजीएमओ, रेडियोलॉजिस्ट दिनांक 11.7.2004 से मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्र. एफ 2-19/2007/17/मेडि-1, दिनांक 13.9.2007 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संविदा आधार पर चिकित्सा अधिकारियों एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टर को अधिकार दिये गये हैं।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 16-119/04/17/मेडि-1,<br>दिनांक 28.05.2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 45. | 328 | अता.प्र.सं.53 (क्रं.1343) दि.19.02.2000 | परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत कार्यालय-बड़वानी में वर्ष 93-94 में श्री मनोहरलाल जैन, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा किये गये घपले की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही। | कारण बताओ नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। | जिलाध्यक्ष बड़वानी के आदेश क्रमांक वित्त-2/स्थापना/1799, दि.12.03.2004 द्वारा श्री मनोहरलाल जैन के विरूद्ध विभागीय जांच समाप्त हो गई।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ-119/04/17/मेडि-1,<br>दिनांक 28.05.2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 332 | परि.अता.प्र.सं.54 (क्रं.1871) दि.16.02.2000 | छतरपुर जिले में पदस्थ खाद्य निरीक्षक श्री आर.पी.सोनी के विरूद्ध जिला स्तर पर दो एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रचलित तीन शिकायतों की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही। | शिकायत की जांच में दोषी पाये जाने वाले खाद्य निरीक्षक के विरूद्ध यथायोग्य कार्यवाही की जावेगी। | छतरपुर जिले में पदस्थ खाद्य निरीक्षक श्री आर.पी. सोनी के विरूद्ध जिला स्तर पर दो एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रचलित तीन शिकायतों की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही से संबंधित हैं। श्री आर.पी. सोनी अप्रैल, 2003 में सेवानिवृत्त हो चुके है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>2930/2550/2014/17/मेडि-1,<br>दिनांक 17.06.2014 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 47. | 334 | अता.प्र.सं.56 (क्रं. 2072) दि.16.02.2000 | आलोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति। | नियुक्तियों पर प्रतिबंध हटने के पश्चात पद पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी। | आलोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारवांकला में डॉ. जितेन्द्र वर्मा 2003 से, प्राथ.स्वा.केन्द्र व रखेडाकला में डॉ. श्रीमती लीला यादव वर्ष 1990 से , प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र ताल में डॉ. जी.एस.कुशवाह, 89 से, प्राथ.स्वा. केन्द्र भोजाखेडी में डॉ. चंदन सिंह 09.03.2004 से, संचालनालय के आदेश क्रमांक 1456, दिनांक 03.09.2004 द्वारा प्राथ.स्वा.केन्द्र,<br>खारवांकला में डॉ. नवीन कुमार नागर को संविदा नियुक्ति के तहत एवं आदेश क्रमांक 967, दिनांक 12.6.03 द्वारा डॉ. बहादुर सिंह कटारे को, खरवांकला एवं आदेश क्र. 2278, दिनांक 23.09.2003 द्वारा डॉ. सी.पी. शर्मा को संविदा नियुक्ति के तहत प्राथ.स्वा.केन्द्र, ताल में नियुक्ति दी गई थी।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 16-199/05/सत्रह/मेडि-1,<br>दिनांक 25.10.2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 48. | 335 | ता.प्रं.सं.1 (क्रं. 2945) दि. 23.02.2000 | इछावर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इछावर में महिला विशेषज्ञ के रिक्त पद की पूर्ति। | प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शासन स्तर से भरा जाना है। जिसकी प्रक्रिया जारी है। | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इछावर, जिला सीहोर में डॉ. मधुबाला शर्मा, महिला चिकित्सक दिनांक 25.01.2001 से पदस्थ होकर कार्यरत है। शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-25/2008/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 22.09.2008 के द्वारा डॉ. श्रीमती वंदना शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ को पदोन्नति उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इछावर पदस्थ किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>4316/6062/2010/सत्रह/मेडि-एक,<br>दिनांक 23.10.2010 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 338 | परि.अता.प्रं.सं.13<br>(क्रं. 2229)<br>दि. 06.03.2000 | जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के विरूद्ध वर्ष 95 से 99 के मध्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रचलित जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही दोषी का निर्धारण हो सकेगा। | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के विरूद्ध वर्ष 95 से 99 के मध्यम वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर जिला दतिया द्वारा जांच पूर्ण की गई जिसका जांच प्रतिवेदन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया के माध्यम से संचालनालय को प्राप्त हुआ।<br>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन **जिसका विषय:-** डॉ.ए.के.दुबे, सी.एम.ओ. दतिया द्वारा वर्ष 95-96 से 98-99 दिनांक 31.03.1999 तक की अवधि में 40 लाख का स्वयं लाभ प्राप्त कर झूठा खर्चा दर्शाकर शासकीय धन का दुरूपयोग की जांच।<br>के संबंध में प्राप्त प्रकरण की जांच कलेक्टर, दतिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया से पूर्ण कराई जिसमें प्रकरण की जांच श्री आर.के.त्रिपाठी, लेखाधिकारी राज्य वित्त एवं लेखा सेवा जिला पंचायत दतिया द्वारा पूर्ण करते हुये अवगत करवाया गया है कि :- उपरोक्त वर्ष अवधि में औषधि क्रय में अनियमितता एवं सामग्री/स्टेशनरी क्रय में गंभीर अनियमितता एवं शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। नस्ती प्रस्तुति उपरांत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन/परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच पूर्ण करते हुए अनियमितता संबंधी बिन्दुओं का उल्लेख तो जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में किया गया, किन्तु जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया कि वर्ष 95 से 99 के मध्य जिला दतिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/ स्टोरकीपर/क्रय लिपिक कौन थे का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया।<br>जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 95 से 99 के मध्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | फरवरी-मार्च 2000 सत्र के आश्वासन की पूर्ति अभी तक न हो पाना निश्चित रूप से विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही दर्शित करता है। समिति द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 03 जुलाई 2000 से लगातार पत्राचार किये जाने एवं दि.04.07.2011 एवं 19.06.2013 को मौखिक साक्ष्य भी लिया गया उसके बावजूद प्रारंभिक जानकारी लगभग दो वर्ष अधिक समयावधि व्यतीत होने के बाद दिनांक 28.09.2015 के पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिस पर समिति द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई जो कि प्रतिवेदन तैयार होने तक प्राप्त नहीं हो सकी। प्रकरण में समिति विभागीय अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही की निंदा करती है और इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि:-<br>(1) इस मामले में आर्थिक अनियमितता के दोषी पाये गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के साथ ही विलंब करने के लिये दोषी अधिकारियों पर भी कठोरतम कार्यवाही की जाए।<br>(2) प्रकरण में दोषी ठहराये गये सेवारत् कर्मचारियों/ अधिकारियों को आर्थिक विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कार्यालय जिला दतिया में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया से प्राप्त की गई।<br>प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्ष अवधि में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया डॉ.ए.के.दुबे, जो वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हो चुके है तथा कर्मचारी में श्री वहीद खां स्टोरकीपर जो वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त हो चुके है।<br>शेष दो कर्मचारी श्री राजकुमार शर्मा जो दतिया में वर्ष फरवरी 1996 से मई 1996 तक की अवधि में प्रभारी स्टोरकीपर के पद पर पदस्थ थे जो वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्दरगढ़ में तथा श्री एम.एस.सिकरवार जो दतिया में वर्ष 1996 से वर्ष 1998 के मध्य प्रभारी स्टोरकीपर एवं क्रय लिपिक के पद पर पदस्थ थे जो वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल मुरार, जिला ग्वालियर में पदस्थ है।<br>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया से ई/मेल तथा दूरभाष पर जिला दतिया में वर्ष 95 से 99 तक के मध्य पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी प्राप्त होने पर नस्ती प्रस्तुति उपरांत प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी डॉ.ए.के.दुबे, जो वर्ष 2000 एवं श्री वहीद खां जो वर्ष 1995 में सेवानिवृत्त हो जाने के परिपेक्ष्य में पेंशन नियम अंतर्गत इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाना संभव नहीं होने तथा शेष दोषी कर्मचारी श्री एस.एस.सिकरवार व श्री राजकुमार शार्म जो वर्तमान में सेवारत् है के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुए।<br>प्राप्त निर्देशों के पालन में विषयान्तर्गत | कार्य न सौंपे जाएं। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्रकरण में दोषी कर्मचारी श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार तत्कालीन प्रभारी स्टोरकीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल मुरार जिला ग्वालियर तथा श्री राजकुमार शर्मा, तत्कालीन प्रभारी स्टोरकीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्दरगढ़ दतिया के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु आरोप पत्रादि संचालनालय के पत्र दिनांक 30.07.2015 द्वारा जारी किये गये।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>4086/3971/2015/सत्रह/मेडि-1,<br>दिनांक 28.09.2015<br><br>विभागीय जानकारी का समिति द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरांत इस सचिवालय के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर अद्यतन जानकारी चाही गई :-<br>(1) प्रकरण में कलेक्टर, दतिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया से पूर्ण जांच कब पूर्ण की गई तथा जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया को कब दिया गया व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया ने यह प्रतिवेदन संचालनालय को कब प्रेषित किया ?<br>(2) विभाग द्वारा विधान सभा को प्रेषित पत्र क्रमांक 4086, दिनांक 28.09.2015 में यह उल्लेख किया गया है कि जांचकर्ता श्री आर.के.त्रिपाठी द्वारा जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया कि वर्ष 95 से 99 के मध्य जिला दतिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/स्टोरकीपर/क्रय लिपिक कौन थे ? इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। क्या यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के कार्यालय में संधारित | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नहीं की जाती है, जिनसे प्राप्त की जा सके। उक्त जानकारी कब व कैसे संचालनालय द्वारा प्राप्त की गई। पूर्ण विवरण दें।<br>(3) जांच व कार्यवाही में 15 वर्ष का विलंब किये जाने के कारण जो अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है, उनके विरूद्ध कार्यवाही यथासमय न हो पाने का दोषी कौन है ? इस विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण का दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी।<br>(4) जिन दो कर्मचारियों को 30.07.15 को आरोप पत्रादि जारी किये गये है, इसमें 15 वर्ष का विलंब किस स्तर पर व क्यों किया गया ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है व उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 339 | परि.अता.प्र.सं. 34 (क्रं. 3238) दि. 06.03.2000 | दतिया जिले के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों द्वारा बरती गई कर्तव्यहीनता के संबंध में संस्थापित जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जिस पर परीक्षणोपरांत कार्यवाही विचाराधीन है। | विधान सभा आश्वासन में संचालक विधानसभा शाखा के माध्यम से शिकायती प्रकरण का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो कार्यवाही हेतु शासन को संबोधित है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्राप्त शिकायत की जांच श्री ए.के.वर्मा डिप्टी कलेक्टर दतिया एवं श्री कटारे सिविल सर्जन द्वारा पूर्ण की गई। प्रकरण की जांच पूर्ण करते हुये अवगत करवाया गया है कि दिनांक 04.10.1999 की रात्रि के समय श्रीमती रजनी लाड़ को जिला चिकित्सालय दतिया में पदस्थ महिला चिकित्सा अधिकारियों डॉ.संतोष दीक्षित डॉ.श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव एवं डॉ.हेमा शर्मा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने से श्रीमती लाड़ को समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार जांचकर्ता अधिकारी द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारियों डॉ.श्रीमती संतोष दीक्षित, डॉ.श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव तथा अधीनस्थ स्टॉफ कर्मचारी के कथन/साक्ष्य लिये गये। उपरोक्त महिला चिकित्सा अधिकारी तथा स्टॉफ कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कथन/साक्ष्य तथा प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 04.10.1999 की रात्रि डयूटी रजिस्ट्रार में डॉ.हेमा शर्मा महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम अंकित था तथा वह उक्त दिनांक को अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहने पर उपरोक्त स्थिति निर्मित हुई। अत: प्रकरण में डॉ.श्रीमती हेमा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर से जानकारी चाही गई जो उनके द्वारा उपलब्ध करवाते हुये संचालनालय को अवगत करवाया गया है कि :-<br>1. डॉ.श्रीमती हेमा शर्मा चिकित्सालय दतिया | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | में दिनांक 06.08.1996 से 31.05.2006 तक कार्यरत थी तथा वे दिनांक 31 मई 2006 को सेवानिवृत्त हो चुकी है।<br>चूंकि डॉ.शर्मा 31 मई 2006 को सेवानिवृत्त हो चुकी है ऐसी स्थित में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना संभव नहीं है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक** :-<br>5063/4069/2015/सत्रह/मेडि-1,<br>दिनांक 01.10.2015 | |
| 51. | 340 | परि.अता.प्र.सं.47<br>(क्रं. 4135)<br>दि. 06.03.2000 | झाबुआ जिले के नवनिर्मित सात उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था। | सात उपस्वास्थ्य केन्द्रों में स्टॉफ की व्यवस्था होना शेष है, जो प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर की जा सकेगी। | सात उपस्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की व्यवस्था दिनांक 24.02.2006 को की जा चुकी है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>आर 6201/09/17/मेडि-1,<br>दिनांक 17.02.2010 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 52. | 341 | अता.प्र.सं. 88<br>(क्रं. 5258)<br>दि. 06.03.2000 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जबलपुर में अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम राशि में से बकाया राशि का समायोजन तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | जांच के आदेश दिये गये हैं जांच उपरांत ही कार्यवाही की जा सकेगी। | कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक/लेखा/2008/1686, दिनांक 08.02.2008 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार वात्सल्य योजना अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जबलपुर में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ली गई अग्रिम राशि में से बकाया राशि रूपये 13,500/- की वसूली संबंधित अधिकारी क्रमश: डॉ. आर.एन. ओझा, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्राथ.स्वा. केन्द्र, पनागर से, राशि रूपये 6750/- एवं श्रीमती एस.शास्त्री जिला पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकारी, जबलपुर से राशि रूपये 6750/- की वसूली चालान क्रमांक 4445653/31, दिनांक 30.01.2008 द्वारा वसूली उपरांत समायोजना करा लिया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>2421/4069/08/17/मेडि-1,<br>दिनांक 11.08.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 342 | अता.प्र.सं.100<br>(क्रं. 5454)<br>दि. 06.03.2000 | रतलाम जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति। | प्रतिबंध हटने पर शीघ्र | शासन आदेश क्रमांक एफ 2-10/2000/17/मेडि-1, दिनांक 05.01.01 द्वारा रतलाम जिले में लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात 10 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। शासन आदेश दिनांक 18.01.01 द्वारा -1 एवं शासन आदेश क्रमांक एफ 2/24/02/17/मेडि-1, दिनांक 10.02.04 द्वारा 11, उम्मीदवारों को जिला रतलाम में नियुक्ति दी गई है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 16-170/07/17/मेडि-1,<br>दिनांक 02.04.2007 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 54. | 347 | ता.प्र.सं.11<br>(क्रं.4603)<br>दि.08.03.2000 | आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना जिले में प्राथ.स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.के.के.ताम्रकार के खिलाफ कार्यवाही तथा इस प्रकार के राशि के सदुपयोग के लिए निर्देश जारी किया जाना तथा उक्त जांच कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जाना। | (1) जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनकी जांच कर लेंगे वे तो उससे मा. सदस्य को अवगत करा देंगे।<br>(2) भ्रष्टाचार हुआ है तो हजार रूपये हो या लाख रूपये उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।<br>(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर।<br>(4) हम सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी करेंगे और एक माह में हम इसकी जांच करा लेंगे। | पन्ना जिले में आर.सी.एच. कार्यक्रम में अंतर्गत संपादित किये गये कार्यो का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन मुख्य अभियंता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के द्वारा किया गया।<br>संचालक चिकित्स सेवायें, म.प्र. के पत्र क्रमांक - 508, दिनांक 16.06.2000 के अनुसार डॉ.के.के.ताम्रकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना द्वारा स्वयं निर्माण कार्य किया जाना नहीं पाया गया।<br>सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जांच के समय स्वीकार किया गया कि निर्माण कार्यो के लिये उन्हें राशि दी गई थी और निर्माण कार्य उनके द्वारा उपयंत्रियों के माध्यम से कराया गया है।<br>मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमश: देवेन्दनगर, अमानगंज, अजयगढ़, पवई तथा शाहनगर हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से निर्माण कार्य की राशि का भुगतान किया गया। कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लोक निर्माण विभाग एवं राजीव गांधी मिशन के उपयंत्रियों के माध्यम से कराया गया है। जिसका भुगतान संबंधित बी.एम.ओ. के माध्यम से किया गया।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक** :-<br>10066/4168/2015/सत्रह/मेडि-1,<br>दिनांक 20.11.2015 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 353 | ता.प्र.सं. 07<br>(क्रं. 6796)<br>दि.16.03.2000 | जिला चिकित्सालय, बैतूल में गायनाकोलाजिस्ट के पद की पूर्ति की अवधि। | हम 15 दिन में वहां गायनाकोलाजिस्ट का पद भर देगें। | जिला चिकित्सालय, बैतूल में डॉ. श्रीमती रेणुका गोहिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला छिन्दवाड़ा को वर्ष 2003 में जिला चिकित्सालय, बैतूल में पदस्थ किया गया है। डॉ. श्रीमती गोहिया, जिला चिकित्सालय, बैतूल में 06.10.2003 से कार्यरत है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 16-1999/05/सत्रह/मेडि-1,<br>दिनांक 25.10.2005 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 56. | 354 | ता.प्र.सं.15<br>(क्रं. 3206)<br>दि.15.03.2000 | जनवरी 98 से जनवरी 2000 तक रजिस्ट्रार फार्मेसी कौंसिल द्वारा कौंसिल की स्वीकृति बिना निर्णय लिए जाने की जांच तथा कार्यवाही। | जांच की जा रही है तदुपरांत ही कार्यवाही की जा सकेगी। | उत्तर अप्राप्त | फरवरी-मार्च 2000 सत्र के आश्वासनों की पूर्ति अभी तक न हो पाना स्पष्ट करता है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और मामले को टालने की प्रवृत्ति ही है। समिति द्वारा इस प्रकरण में दि. 03.07.2000 लगातार पत्राचार किये जाने एवं दि. 04.07.2011 एवं 19.06.2013 को मौखिक साक्ष्य भी लिया गया उसके बावजूद प्रारंभिक जानकारी अपेक्षित है। समिति विभागीय अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही की निंदा करती है और शासन से अपेक्षा करती है कि:-<br>(1) इस मामले में विलम्ब के लिये दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो।<br>(2) आश्वासन की प्रतिपूर्ति तथा दोषियों पर कार्यवाही कर दो माह के भीतर समिति को अवगत करायें। |
| 57. | 355 | ता.प्र.सं. 20<br>(क्रं. 7636)<br>दि.15.03.2000 | दमोह जिले के बटियागढ़ सामु.स्वा.केन्द्र में एक्सरे मशीन को चालू करने की अवधि निर्धारित किया जाना। | 1. एक्सरे कराने के लिए जो सामान चाहिए, एक्सरे फिल्म डेवलपर फिक्सर, उसके अभाव के कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है, इसकी व्यवस्था शीघ्र वहां करवा दी जायेगी।<br>2. मुश्किल से एक माह के भीतर यह समान खरीद कर एक्सरे की व्यवस्था करवा देंगे। | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बटियागढ़ जिला दमोह की एक्सरे मशीन दिनांक 16.3.04 से चालू हो चुकी है एवं वर्तमान में भी चालू हालत में है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 17-295/2000/सत्रह/मेडि-3,<br>दिनांक 29.10.2004 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 358 | अता.प्र.सं.106 (क्रं.7651) दि.15.03.2000 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी भोपाल द्वारा पल्स पोलियों अभियान 99 के अंतर्गत अखबार विशेष को विज्ञापन दिए जाने की जांच तथा कार्यवाही। | जांच की जा रही तदुपरांत कार्यवाही की जा सकेगी। | उत्तर अप्राप्त | आ.क्र. 354 अनुसार। |
| 59. | 359 | अता.प्र.सं.107 (क्रं. 7652) दि.15.03.2000 | सी.एम.ओ. भोपाल के लिए जिले में दवाईयों की खरीदी के लिए वहां के परचेस क्लर्क या स्टोर कीपर द्वारा आदेश दिए जाने की जांच तथा कार्यवाही। | प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है परीक्षण उपरांत ही दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। | उत्तर अप्राप्त | आ.क्र. 354 अनुसार। |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## चिकित्सा शिक्षा विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 60. | 336 | परि.अता.प्र.सं. 27 (क्रं.2222) दि. 23.02.2000 | डॉ.बी.एम.त्रिपाठी विभागाध्यक्ष मेडिसन विभाग के विरूद्ध जाति विशेष के छात्राओं के साथ भेदभाव किए जाने संबंधित प्रचलित शिकायत की जांच कार्यवाही पूर्ण किया जाना। | जांच प्रचलित है । जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा । | उत्तर अप्राप्त | आ.क्र. 354 अनुसार । |
| 61. | 362 | परि.अता.प्र.सं. 24 (क्रं. 2020) दि. 23.02.2000 | श्री जी.एल. शर्मा, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य हास्पिटल ग्वालियर के विरूद्ध संस्थापित विभागीय जांच के कार्य को पूर्ण होने तक उक्त अधिकारी को अन्यत्र पदस्थ किया जाना । | जांच अधिकारी के प्रतिवेदन पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही करना संभव होगा । | प्रकरण के जांच अधिकारी बी.एम.त्रिपाठी द्वारा जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध होना नहीं बताया गया था । तदनुसार परीक्षण कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 10-5/2000/1/55,<br>दिनांक 04.08.2009 | कोई टिप्पणी नहीं.. |
| 62. | 363 | परि.अता.प्र.सं.53 (क्रं. 3593) दि. 23.02.2000 | डॉ.जे.के. चौरसिया, सी.एम.ओ. हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल द्वारा दि.16.2.98 को श्री लक्ष्मण का मेडिकल परीक्षण कर गलत मेडिको लीगल रिपोर्ट देने पर दोषी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही। | वर्तमान में जांच प्रचलित है । जांच पूर्ण होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । | जांचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 11-07/2003/1/55, दि.22.09.2009 के द्वारा शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया हैं ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 10-73/11/1/55,<br>दिनांक 06.08.2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 63. | 364 | ता.प्र.सं. 02 (क्रं. 7589) दि. 15.03.2000 | संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में सहायक ग्रेड-1 की नियम विरूद्ध कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने के प्रकरण में सेवा निवृत्त डी.एम.ई. डॉ. एम.के.गुप्ता एवं प्रशासकीय अधिकारी पी.बी. श्रीवास्तव के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाना । | जांच में दोषी पाया गया तो सख्त कार्यवाही करेंगे । प्रायमाफेसी हम ऐसा मानते हैं कि सदस्य सचिव श्री श्रीवास्तव की प्रमुख गलती है, इसलिये हम उसको निलंबित करने का आदेश दे रहे है । | प्रावधानों के विरूद्ध गलत व्यक्ति को पदोन्नति देने के कारण विभागीय जांच की गई थी । मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 05.04.2003 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत भविष्य के लिये चेतावनी देकर सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। दोषी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी श्री पी.बी. श्रीवास्तव का दिनांक 14.9.2003 को स्वर्गवास हो गया है ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 10/106/2001,<br>दिनांक 04.08.2009 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 365 | अता.प्र.सं. 127<br>(क्रं. 7729)<br>दि. 15.03.2000 | चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति। | यथाशीघ्र | प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2001 से 2004 की अवधि में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति तथा स्वशासी संस्था द्वारा नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों एवं स्वशासी संस्थाओं द्वारा संविदा आधार पर की गई सहायक प्राध्यापकों एवं प्रदर्शको की नियुक्ति की जाकर की गई है।<br>स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2004 से 2007 की अवधि में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से एवं पदोन्नतियों के माध्यम से की गई है।<br>रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर की जाने वाली प्रक्रिया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>3072/473/07/1/पचपन,<br>दिनांक 12.09.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 65. | 366 | अता.प्र.सं. 129<br>(क्रं. 7731)<br>दि. 15.03.2000 | डॉ. आर.आर.वर्मा, प्रभारी अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी, सागर के विरूद्ध शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। | 1. डॉ.आर.आर.वर्मा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु संचालनालय पत्र क्र.3/स्था./1319, दिनांक 02.03.2000 से जांच करने हेतु तत्कालीन उप संचालक, संचालनालय डॉ. पी.के. बोन्द्रिया को सौंपी गई थी। तथा स्मरण पत्र क्र. 3/स्था.2122, दिनांक 10.05.2000 जारी किया गया था किंतु उनकी और से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। वर्तमान में डॉ. पी.के. बोन्द्रिया, उप संचालक को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित होने से वहां पदस्थ है।<br>2. वर्तमान में डॉ. वर्मा दिनांक 31.01.2001 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त हो चुके है एवं इनका देहावसान भी हो चुका है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 14-1/07/2/पचपन,<br>दिनांक 22.01.2007 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 367 | ध्यानाकर्षण सूचना दि. 29.03.2000 | जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों की पूर्ति एवं कॉलेज में लंबे समय से अनुपस्थित दो प्राध्यापकों एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही एवं निलंबन किया जाना। | 1. शेष पदों की पूर्ति शीघ्र की जावेगी।<br>2. यह आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।<br>3. जो चिकित्सक लंबे समय से छुट्टी पर है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।<br>4. जो दो प्रोफेसर अनुपस्थित हैं, मैं उसका और परीक्षण कर लूंगा और आवश्यक हुआ तो हम निलंबन की कार्यवाही करेंगे।<br>5. नोटिस देने के बाद उनका जवाब आयोग और जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उनको सेवा से पृथक करेंगे। | 1. चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में तत्समय रिक्त पद भर दिये गये।<br>2. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में लंबे समय से अनुपस्थित 02 सहायक प्राध्यापकों की सेवा समाप्त की गई।<br>**विभागीय पत्र क्रमांकः-**<br>2500/473/07/1/पचपन,<br>दिनांक 21.07.2009 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## लोक निर्माण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 67. | 417 | ता.प्र.सं.22 (क्रं. 2941) दि. 23.02.2000 | वर्ष 99 में आवंटन से अधिक व्यय करने वाले कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही। | परीक्षण कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। | कुछ कार्यपालन यंत्रियों से स्पष्टीकरण प्राप्त होना शेष है। एकजाई परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 1-26/2000/बी-19, दिनांक 12.07.2001 | आवंटन से अधिक व्यय करने वाले कार्य पालन यंत्रियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभाग को अंतिम पत्र क्रमांक 6795/आश्वा./2013 दिनांक 08.03.2013 भेजा गया था लेकिन विभाग से जानकारी अप्राप्त है । विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 05.07.2011 को साक्ष्य के दौरान लंबित आश्वासनों के निराकरण हेतु वर्षाकालीन सत्र के दो माह पश्चात् जानकारी भेजने का कथन किया गया था, लेकिन समिति को जानकारी अप्राप्त है। सचिव द्वारा साक्ष्य के दौरान दिये गये आश्वासन के पश्चात् भी जानकारी न भेजी जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग जानकारी भेजने के प्रति गंभीर नहीं है। समिति इस प्रवृत्ति को उचित नहीं मानती। समिति अनुशंसा करती है कि दो माह के भीतर पूर्ण आश्वासित जानकारी भेजते हुये जानकारियां भिजवाने में विलंब के दोषियों पर भी कार्यवाही की जाये तथा उससे समिति को अवगत कराया जाये। |
| 68. | 427 | परि.अता.प्र.सं.31 (क्रं.3190) दि. 06.03.2000 | भोपाल जिले के फन्दा रेल्वे क्रासिंग से सीहोर कृषि महाविद्यालय तक लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किए गये अतिक्रमण को हटाया जाना। | यथाशीघ्र | जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 28.03.05 को अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 18-19/2000/सा-19, दिनांक 26.07.2008 | कोई टिप्पणी नहीं. |

## फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 69. | 460 | अता.प्र.सं-118 (क्र. 3527) दि. 06.02.2000 | शिवपुरी में महिला पोलीटेकनिक खोले जाने का प्रस्ताव । | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति प्राप्त होने एवं आवश्यक धनराशि होने के पश्चात् ही शिवपुरी में पॉलीटेकनिक प्रारंभ किया जा सकेगा । | शिवपुरी में पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने के आदेश दिनांक 09 सितम्बर, 2009 को जारी कर दिये गये है ।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 30-56/2000/बयालीस,<br>दिनांक 14.03.2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |

## फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## ग्रामोद्योग विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 70. | 462 | परि.अता.प्र.सं.34 (क्र. 2690) दि. 04.03.2000 | वर्ष 83-84 में जिला सतना की बुनकर सहकारी समिति मर्यादित रेगांव के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री राममिलन पाण्डे द्वारा शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं गबन किये जाने के संबंध में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही । | निर्णय प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी। | मान.न्यायालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां सतना के आदेश दि. 19.7.2000 द्वारा श्री राममिलन पाण्डे वर्तमान निरीक्षक हथकरघा रीवा को अधिभार प्रकरण क्रं. 82/85 में रूपये 5558/- की राशि का दुरूपयोग करने एवं अधिभार प्रकरण क्रं. 17/86 में राशि रू. 2440/- के लिए उत्तरदायी मानते हुए अधिभारित किया गया है । संचालनालय द्वारा न्यायालय के आदेश के पालन में श्री राममिलन पांडे के वेतन से उपरोक्त राशियां वसूल करने हेतु आदेश दिनांक 01.06.2000 को जारी किये जा चुके हैं । श्री पांडे द्वारा न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध म.प्र. सहकारी अधिकरण, भोपाल में दि. 26.08.2000 को अपील प्रस्तुत की है, जो मान.न्यायालय में विचाराधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 5-8/2000/52-1, दिनांक 28.02.2003 | समिति अनुशंसा करती है कि म.प्र.सहकारी अधिकरण द्वारा प्रकरण में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से समिति को एक माह की समयावधि में अवगत कराया जायेगा । |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 71. | 463 | ता.प्र.सं-07<br>(क्र. 1813)<br>दि. 10.02.2000 | मुरार विकास खण्ड के नाम पर श्री राम कालोनी लश्कर में संचालित पोस्ट मेट्रिक छात्रावास को पुन: ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाना। | मैं उसकी जांच करवा कर वहां के छात्र जो चाहेगें उस हिसाब से हम करेंगे। | ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास की उपयोगिता नहीं होने के कारण मुरार विकासखण्ड के नाम पर श्री राम कालोनी, लश्कर में संचालित पोस्ट मेट्रिक छात्रावास स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>एफ 21-128/2011/25-4,<br>दिनांक 17.08.2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## आदिम जाति कल्याण विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 72. | 472 | परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.3375) दि.06.03.2000 | आदिवासी विकास आयुक्त, शहडोल द्वारा वर्ष 97-98 एवं 98-99 में गद्दों की बढ़ी हुई दर पर खरीद/बिक्री में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। | उत्तर अप्राप्त | वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में विभाग द्वारा इस सचिवालय से लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद न तो कोई उत्तर दिया गया न ही कोई ऐसा प्रकरण किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस मामले विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की गई। समिति इस स्थिति को उचित नहीं मानती है। समिति यह अपेक्षा करती है कि इस संबंध में विभाग द्वारा यथापेक्षित विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुये दोषियों को कड़ा दण्ड दिया जायेगा। |
| 73. | 475 | परि.अता.प्र.सं-44 (क्र. 7177) दि. 16.03.2000 | जल संसाधन विभाग के उपयंत्री श्री जे.पी.सुमन की सेवाओं को मूल विभाग में वापस किया जाना। | श्री सुमन की सेवाओं की इस विभाग को आवश्यकता न होने पर उनके मूल विभाग में वापस किया जावेगा। | श्री जे.पी.सुमन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है। म.प्र. राज्य के विभाजन के पूर्व श्री जे.पी. सुमन बिलासपुर में पदस्थ थे। यह विधान सभा आश्वासन फरवरी-मार्च 2000 सत्र का है। 01 नवम्बर 2000 को म.प्र. राज्य का विभाजन के फलस्वरूप यह विषय छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-23-75/2010/1/25, दिनांक 23-06-2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## स्कूल शिक्षा विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 74. | 486 | ता.प्र.सं- 3 (प्र.सं. 2108) दि.10.2.2000 | मा.शि.मंडल में उत्तरपुस्तिकाओं के साथ हेरा फेरी के संबंध में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाना। | इंडिपेन्डेन्ट अधि. जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, डायरेक्टर ऑफ स्टेट कौंसिल ऑफ एज्यूकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च आग्रेनाइजेशन हैं उनसे जांच करवा देंगे। | म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने मा.शि. मंडल से उ.पु. बाहर ले होकर पुन: उत्तर लिखवाने की घटना से संबंधित जांच श्रीमती सुरंजना रे, आई.ए.एस. संचालक, रा.शै.अनु.औ.प्रशि.परि. भोपाल से कराई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरपुस्तिका कक्ष के भोपाल संभाग में पदस्थ तत्कालीन डिलिंग सहायक श्रीमती रूखसाना खातून एवं श्रीमती साइमा कुरैशी को प्रकरण में मुख्य रूप से दोषी पाया। उल्लेखित दोनों कर्मचारियों पर मंडल में पूर्व से ही विभागीय जांच अधिरोपित है, लेकिन अपचारी कर्मचारियों द्वारा माननीय श्रम न्यायालय भोपाल से विभागीय जांच कार्यवाही में ''स्टे'' प्राप्त किये जाने के कारण विभागीय जांच कार्यवाही स्थगित है। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट में तत्कालीन कक्ष अधिकारी श्री एस.सी. पनवडिया को कार्यालयीन आदेश/निर्देश का सही ढंग से पालन न करने की लापरवाही के लिये दोषी माना गया है, जिसके फलस्वरूप इन्हें दिनांक 03.08.2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्री पनवडिया से प्राप्त स्पष्टीकरण परीक्षणोपरांत समाधान कारक नहीं पाया गया। फलस्वरूप इनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर दिनांक 03.4.2001 को विधिवत आरोपो की जांच हेतु जांच कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-30-116/2001/बीस/सी-3,<br>दिनांक 08-06-2001 | कोई टिप्पणी नहीं |
| 75. | 491 | परि.अता.प्र.सं- 13 (प्र.सं. 381) दि.10.2.2000 | इंदौर में प्रदान की गई पत्र वरीयता के संबंध में कतिपय आदेश न मिलने की जांच तथा कार्यवाही। | परीक्षण कर शीघ्र निर्णय किया जावेगा। | विभागीय जांच उपरांत श्रीमती पुष्पलता जैन, तत्का. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर के विरूद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया। शासन द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षणोपरांत श्रीमती पुष्पलता जैन, तत्का. संयुक्त संचालक लो.शि. इंदौर का विभागीय जांच प्रकरण दिनांक 07.02.08 को समाप्त किया गया है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-197/1584/2011/20-1, दिनांक 04-02-2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | 492 | परि.अता.प्र.सं- 16 (प्र.सं. 439) दि.10.2.2000 | इंदौर शिक्षा विभाग के अधीन पांचवे वेतन आयोग की एरियर राशि को कर्मचारियों के खाते में जमा न करने वाले प्राचार्यो के विरूद्ध कार्यवाही। | प्राचार्यों से कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा। | संबंधित प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के आदेश दिनांक 28.02.2002 द्वारा भविष्य में सजगता पूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1296/1174/2012/बीस-4, दिनांक 13-08-2012 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 77. | 494 | परि.अता.प्र.सं-26 (प्र.सं. 725) दि.10.2.2000 | राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से फर्जी दस्तावेज लगाकर सीधी भर्ती से बने प्राचार्य को पृथक किया जाना. | जांच जारी है तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. | प्रकरण में प्रारंभिक जांच पूर्ण की गई चयनित 17 प्राचार्य के प्रकरण में अपेक्षित पूर्तियां होना नहीं पाया गया है. 84 प्राचार्यों की बी.एड. अवधि को शिक्षण अनुभव में मान्य किया गया, 02 प्रकरणों में विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई है. इसमें से एक प्रकरण में न्यायालयीन स्टे होने से कार्यवाही निलंबित है. शेष प्रकरणों में स्थल जांच की सत्यापन कार्यवाही पूर्णता की ओर है.अपेक्षित सत्यापन की अवधि पुरानी होने व स्थल सुदूर स्थित होने से विलंब हो रहा है. प्रकरण में स्थल निरीक्षण सत्यापन उपरांत नियमोचित कार्यवाही कर दी जावेगी. विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 30-427/05/20-1, दिनांक 16.12.2005 | प्रकरण में दिये गये आश्वासन पर अभी कार्यवाही पूर्ण होना शेष है । प्रकरण में प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी में 17 प्राचार्यो के चयन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत का होना नहीं पाया गया है। जांच की पूर्णत: एवं कार्यवाही की जानकारी दिनांक 23.08.2006 से दिनांक 07.03.2013 तक पत्राचार किये जाने एवं समिति की बैठक दिनांक 21.06.2011 एवं दिनांक 09.07.2012 को विभागीय प्रमुख सचिव का मौखिक साक्ष्य लिये जाने के बावजूद आश्वासन की अभी तक पूर्ति न होना अत्यन्त खेदजनक है। समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण में पूर्ण जानकारी समय पर न देने के दोषियों पर कार्यवाही करते हुये दो माह की समयावधि में अवगत कराया जाये । |
| 78. | 498 | अशासकीय संकल्प दि. 11.02.2000 | स्कूल शिक्षा में प्राकृतिक योग शिक्षा एवं जूडो कराटे की शिक्षा का आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु परिपत्र जारी किया जाना। | हम दुबारा परिपत्र जारी करवा देंगे। | योग शिक्षा एवं जूडो कराटे की शिक्षा का प्रावधान किये जाने संबंधी परिपत्र दिनांक 07.05.2005 को जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी/2499/2192/20-2/09, दिनांक 23-09-2009 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 505 | अता.प्र.सं-13<br>(प्र.सं. 838)<br>दि. 17.2.2000 | वर्ष 94 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित उमावि के सभी प्राचार्यों के प्रमाण-पत्रों के जांच कार्य को पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही. | जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी. | विभागीय जांच के संबंध में अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :-<br>1. श्री श्याम नारायण शर्मा की विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है । मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रकरण डब्ल्यू.ए. 1036/06 श्री ओमकारनाथ पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन एवं प्रकरण क्रं. डब्ल्यू.पी. 1100/06 श्री रामराज त्रिपाठी एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2010 के परिप्रेक्ष्य में विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2011 से चार सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई । उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.8.2011 के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.8.2011 के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश दिनांक 03.9.2011 द्वारा तीनों लोक सेवकों श्री रामप्रसाद गुप्ता, श्री श्याम नारायण शर्मा एवं श्री मो. हनीफ को निलंबित किया गया है । उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा के द्वारा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका डब्ल्यू. ए. 1005/2011 दायर की गई जिसमें मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.4.2012 को निर्णय पारित कर उक्त निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी स्तर से जारी न होने के कारण अपास्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत सेवा से पृथक करने हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए प्रतिवाद चाहा गया । प्राप्त प्रतिवाद संतोषजनक एवं समाधानकारक न पाये जाने के कारण प्रतिवाद को अमान्य करने संबंधी प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत म.प्र. लोक सेवा आयोग से अभिमत चाहा गया । इसी दौरान श्री शर्मा द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रं. डब्ल्यू.पी. 15230/2014 दायर की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2014 को आगामी सुनवाई तक के लिये स्थगन आदेश पारित किया गया । तत्संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 07.11.2014 द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रकरण में तत्काल प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है । संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा दिनांक 28.1.2015 को प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है । | प्रकरण में दिये गये आश्वासन पर अभी कार्यवाही पूर्ण होना शेष है । प्रकरण में प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी में 17 प्राचार्यो के चयन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत का होना नहीं पाया गया है । जांच की पूर्णत: एवं कार्यवाही की जानकारी दि.23.08.2006 से दि.07.03.2013 तक पत्राचार किये जाने एवं समिति की बैठक दिनांक 21.06.2011 एवं दिनांक 09.07.2012 को विभागीय प्रमुख सचिव का मौखिक साक्ष्य लिये जाने के बावजूद आश्वासन की अभी तक पूर्ति न होना अत्यन्त खेदजनक है । समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण में पूर्ण जानकारी समय पर न देने के दोषियों पर कार्यवाही करते हुये दो माह की समयावधि में अवगत कराया जाये । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. श्री रामप्रसाद गुप्ता के विरूद्ध दिनांक 05.2.2011 को विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आदेश जारी किया गया तथा दिनांक 03.09.2011 को निलंबित किया गया । श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 25.02.2011 एवं 10.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कतिपय अभिलेख चाहे गये एवं आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग द्वारा श्री गुप्ता के आवेदनों को अमान्य करते हुए उनके विरूद्ध दिनांक 22.9.2014 को विभागीय जांच संस्थित करते हुए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया । दिनांक 13.3.2015 को जांचकर्ता अधिकारी को स्मरण पत्र जारी करते हुए शीघ्र जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जांच प्रक्रियाधीन है।<br>3. श्री मो.हनीफ खान द्वारा प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद पर चयन हेतु वर्ष 1994 में अपेक्षित अनुभव की पूर्ति हेतु हाई स्कूल का शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कदाचरण करने के संबंध में उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय जांच के आरोपों की प्रचलित जांच में उक्त अतिरिक्त आरोप अधिरोपित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की गई । विभागीय जांच अधिकारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा प्रकरण में जांच कर दिनांक 31.1.2014 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसारी संबंधित को दोषी नहीं पाया गया तथापि संबंधित के विरूद्ध अन्य अधिरोपित आरापों में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 09.3.2015 द्वारा तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>692/2887/2014/20-1,<br>दिनांक 17-06-2015 | |
| 80. | 512 | परि.अता.प्र.सं-91<br>(प्र.सं. 3200)<br>दि. 17.2.2000 | सतना जिले में 11.08.66 के पूर्व के सामान्य वर्ग के कार्यरत व्याख्याताओं को हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य के रूप में पदोन्नति दी जाना। | नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. | म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दि.05.07.03 द्वारा प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>एफ-30-11/2014/20-1,<br>दिनांक 27-08-2014 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | 522 | परि.अता.प्र.सं-54 (प्र.सं. 3809) दि. | छिन्दवाड़ा जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूलों के प्राचार्यों को आहरण संवितरण अधिकार दिये जाना। | यथाशीघ्र | 10 वर्ष की अवधि के पश्चात छिन्दवाड़ा जिले हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों को आहरण संवितरण अधिकार दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-398/2010/बीस-2, दिनांक 04-12-2010 | कोई टिप्पणी नहीं. |
| 82. | 528 | अता.प्र.सं-55 (प्र.सं. 4941) दि. 06.03.2000 | प्रगतिशील शैक्षणिक संस्था तहसील लॉजी द्वारा संचालित उ.मा.शाला में फर्जी नियुक्ति की जांच तथा शाला की मान्यता समाप्त की जाना। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। | अध्यक्ष प्रगतिशील उमावि. साडरा के आदेश क्र.-111/निरस्त/शि.क./2009 दिनांक 26.02.2000 द्वारा श्री उमेश कुमार वर्मा की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पत्र क्र./पु.अ./वि.स./15-ए/2005 दिनांक 11.02.2005 के अनुसार अपराध दर्ज होने के उपरांत आरोपों के आधार पर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत कार्यालय पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पत्र क्रं./पुअ./बाला/ ओएम/252/ 11 बालाघाट दिनांक 06.08.11 द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रकरण में संदेहियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलने से प्रकरण में खात्मा क्रं./3/2006 दिनांक 23.03.2006 को चाक किया गया है। (विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4941 दिनांक 03.02.2000/2242 दिनांक 11.03.2005 एवं 4715 दिनांक 11.07.2008) उक्त प्रकरण के संबंध में विधानसभा प्रश्न उद्भुत हुए थे। म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 37-4-99-20-5 दिनांक 21.11.2000/02.12.2000 के अनुसार अशासकीय उमावि. साडरा को शासनाधीन किया गया है। कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्रकरण पुलिस विभाग को सौंपे जाने के कारण प्रकरण पुलिस विवेचना में होने से विभागीय जांच संस्थापित नहीं की गई तथा पुलिस विभाग द्वारा संदेहियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलने से प्रकरण में खात्मा क्रमांक-3/2006 दिनांक 23.03.2006 को चाक किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-120/2013/20-3, दिनांक 12-04-2013 | कोई टिप्पणी नहीं. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. | 531 | अता. प्र.सं-26<br>(प्र.सं. 3911)<br>दि.06.03.2000 | भिण्ड नगर संपर्क के दौरान जिला शिक्षा कार्यालय के निरीक्षण में केस बुक में विगत 15 वर्षों से पांच लाख रुपये की धन राशि के अग्रिम बताये जाने संबंधी प्रकरण की जांच तथा दोषियों विरूद्ध कार्यवाही. | प्रकरण की जांच के आदेश दिये गये है. जांच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी. | 1. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड के शासकीय कैश बुक में अग्रिम का समायोजन न करने संबंधी गडबडी करने संबंधी घटना दिनांक 17.01.2000 को संज्ञान में आयी।<br>2. दोषी कर्मचारी तत्कालीन गणक श्री अभिलाख सिंह तोमर का देहान्त दिनांक 10.07.2004 हो गया है एवं श्री ताराचंद नामदेव दिनांक 30.09.2009 को सेवानिवृत्त हो चुके है।<br>3. दोषी सेवकों के विरूद्ध समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिये उत्तरदायी तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एस.कुशवाह दिनांक 31.077.1996 को सेवानिवृत्त हुये एवं दिनांक 17.05.2010 को उनका स्वर्गवास हो चुका है तथा श्री आर.एस. भिलवार दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हुये एवं 25.12.2012 को उनका स्वर्गवास हो चुका है।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक:-**<br>539/2698/2014/20-2,<br>दिनांक 30.03.2015 | कोई टिप्पणी नहीं. |

# फरवरी-मार्च, सत्र 2000
## श्रम विभाग

| स. क्र. | आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 84. | 559 | परि.अता.प्र.सं.75 (क्रं.4439) दि. 06.03.2000 | 01 जनवरी 2000 की स्थिति में प्रदेश में इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना तथा श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण। | जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रकरणों का निपटारा पात्रतानुसार कर दिया जावेगा। | दिनांक 1 जनवरी 2000 की स्थिति में इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के कुल 35 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से मूल उत्तर देने के समय तक 24 प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी थी और शेष 11 प्रकरण पूर्ण जानकारी के अभाव में स्वीकृति हेतु लंबित थे, इन शेष 11 प्रकरणों में जानकारी प्राप्त कर स्वीकृति दी गई और क्षतिपूर्ति की राशि बैंक ड्राफट द्वारा अगस्त, 2000 तक भेजी जा चुकी थी। दिनांक 01.01.2000 को स्थिति में लंबित समस्त प्रकरण अगस्त 2000 तक निराकृत किए जा चुके थे।<br>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**<br>1672/1932/2011/ए-16,<br>दिनांक 12-09-2011 | कोई टिप्पणी नहीं. |

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2015

**(राजेन्द्र पाण्डेय)**
**सभापति**
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

## :: परिशिष्ट - 1 ::

## फरवरी-मार्च 2000, सत्र के निराकृत एवं पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

| क्रमांक | आश्वा.क्रं. | विभाग का नाम | प्रकरण की स्थिति | विधान सभा अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01 | महिला एवं बाल विकास | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | एकादश विधानसभा |
| 2. | 02 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 3. | 03 | " | " | " |
| 4. | 04 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 5. | 05 | " | " | - |
| 6. | 06 | नर्मदा घाटी विकास | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 7. | 08 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 8. | 09 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 9. | 10 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 10. | 11 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 11. | 12 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 12. | 13 | पशुपालन | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 13. | 14 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 14. | 15 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 15. | 16 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 16. | 17 | " | " | " |
| 17. | 18 | " | " | " |
| 18. | 19 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 19. | 20 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 20. | 21 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 21. | 22 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 22. | 23 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 23. | 24 | धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व | " | " |
| 24. | 26 | राजस्व | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 25. | 27 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 26. | 28 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 27. | 29 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 28. | 30 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 29. | 34 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 30. | 35 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 31. | 37 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 32. | 38 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 33. | 39 | " | " | " |
| 34. | 40 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 35. | 41 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 36. | 42 | " | " | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | 43 | राजस्व | " | " |
| 38. | 44 | " | " | " |
| 39. | 45 | " | " | " |
| 40. | 46 | " | " | " |
| 41. | 47 | " | " | " |
| 42. | 48 | " | " | " |
| 43. | 49 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 44. | 50 | " | " | एकादश विधानसभा |
| 45. | 51 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 46. | 52 | " | " | - |
| 47. | 53 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 48. | 54 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 49. | 55 | " | " | " |
| 50. | 56 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 51. | 57 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 52. | 59 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 53. | 60 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 54. | 61 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 55. | 62 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 56. | 63 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 57. | 64 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 58. | 65 | " | " | " |
| 59. | 67 | " | " | एकादश विधानसभा |
| 60. | 72 | वन | उन्नीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधान सभा |
| 61. | 73 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 62. | 74 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 63. | 75 | " | " | - |
| 64. | 76 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 65. | 77 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 66. | 78 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 67. | 80 | " | " | एकादश विधानसभा |
| 68. | 81 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 69. | 82 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 70. | 83 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 71. | 84 | जल संसाधन | द्वितीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 72. | 85 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 73. | 86 | " | तृतीय प्रतिवेदन | - |
| 74. | 87 | " | " | - |
| 75. | 88 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 76. | 89 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 77. | 90 | " | " | - |
| 78. | 91 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 79. | 92 | जल संसाधन | " | " |
| 80. | 93 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | " |
| 81. | 94 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 82. | 95 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 83. | 96 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 84. | 97 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 85. | 98 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 86. | 99 | " | " | - |
| 87. | 100 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 88. | 101 | " | पंचम् प्रतिवेदन | " |
| 89. | 102 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 90. | 103 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | " |
| 91. | 104 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 92. | 105 | " | छत्तीसगढ़ राज्य़ से संबंधित | - |
| 93. | 106 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 94. | 107 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 95. | 108 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 96. | 109 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | " |
| 97. | 110 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 98. | 112 | कृषि | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 99. | 113 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 100. | 114 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 101. | 115 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 102. | 117 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 103. | 118 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 104. | 119 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 105. | 120 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 106. | 121 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 107. | 122 | " | " | " |
| 108. | 123 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 109. | 126 | " | " | - |
| 110. | 127 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 111. | 128 | " | " | " |
| 112. | 129 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 113. | 130 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 114. | 131 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 115. | 132 | " | " | " |
| 116. | 133 | " | " | " |
| 117. | 134 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 118. | 135 | सहकारिता | " | " |
| 119. | 136 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 120. | 138 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 121. | 139 | सहकारिता | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 122. | 140 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 123. | 141 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 124. | 142 | " | " | " |
| 125. | 143 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 126. | 144 | " | " | " |
| 127. | 145 | " | " | " |
| 128. | 146 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 129. | 147 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 130. | 148 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 131. | 149 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 132. | 150 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 133. | 151 | " | " | " |
| 134. | 152 | आवास एवं पर्यावरण | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 135. | 153 | " | " | " |
| 136. | 154 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 137. | 155 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 138. | 156 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 139. | 157 | " | " | " |
| 140. | 158 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 141. | 159 | " | " | " |
| 142. | 161 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 143. | 162 | गृह | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 144. | 163 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 145. | 164 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 146. | 165 | " | उन्नीसवा प्रतिवेदन | " |
| 147. | 166 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 148. | 167 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 149. | 168 | " | " | " |
| 150. | 169 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 151. | 171 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 152. | 172 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 153. | 174 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 154. | 175 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 155. | 176 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 156. | 177 | " | बारहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 157. | 178 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 158. | 179 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 159. | 180 | " | " | - |
| 160. | 181 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 161. | 182 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 162. | 183 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 163. | 184 | गृह | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 164. | 185 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 165. | 186 | " | " | " |
| 166. | 187 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 167. | 188 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 168. | 189 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 169. | 190 | " | बारहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 170. | 191 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 171. | 192 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 172. | 193 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | " |
| 173. | 195 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 174. | 196 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 175. | 197 | " | " | " |
| 176. | 198 | " | " | " |
| 177. | 199 | " | " | " |
| 178. | 200 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 179. | 201 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 180. | 204 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 181. | 205 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 182. | 206 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 183. | 207 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 184. | 208 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 185. | 209 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 186. | 210 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 187. | 212 | सामान्य प्रशासन | " | " |
| 188. | 213 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 189. | 214 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 190. | 215 | " | पंचम् प्रतिवेदन | " |
| 191. | 216 | " | बारहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 192. | 217 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 193. | 218 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 194. | 219 | " | पंचम् प्रतिवेदन | " |
| 195. | 220 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 196. | 221 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 197. | 222 | जनसम्पर्क | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 198. | 224 | जन शिकायत निवारण | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 199. | 225 | परिवहन | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 200. | 226 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 201. | 227 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 202. | 228 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 203. | 229 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 204. | 230 | वित्त | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 205. | 231 | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 206. | 232 | " | " | " |
| 207. | 233 | " | " | " |
| 208. | 234 | वाणिज्यिक कर | पन्दहवां प्रतिवेदन | " |
| 209. | 235 | " | " | " |
| 210. | 236 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 211. | 238 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 212. | 240 | पंचायत और ग्रामीण विकास | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 213. | 241 | " | " | - |
| 214. | 242 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 215. | 243 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 216. | 244 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 217. | 245 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 218. | 246 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 219. | 247 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 220. | 248 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 221. | 249 | " | " | - |
| 222. | 251 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 223. | 252 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 224. | 253 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 225. | 254 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 226. | 255 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 227. | 256 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 228. | 257 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 229. | 258 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 230. | 259 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 231. | 260 | " | " | - |
| 232. | 261 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 233. | 262 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 234. | 263 | " | " | - |
| 235. | 264 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 236. | 265 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 237. | 268 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 238. | 271 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 239. | 272 | " | " | " |
| 240. | 274 | " | " | " |
| 241. | 275 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 242. | 276 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 243. | 277 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 244. | 278 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 245. | 280 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 246. | 281 | " | " | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 247. | 282 | नगरीय प्रशासन एवं विकास | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 248. | 283 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 249. | 284 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 250. | 285 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 251. | 286 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 252. | 287 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 253. | 288 | " | " | - |
| 254. | 290 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 255. | 291 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 256. | 292 | " | " | - |
| 257. | 293 | " | " | - |
| 258. | 297 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 259. | 298 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 260. | 299 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 261. | 303 | " | " | - |
| 262. | 304 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 263. | 307 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 264. | 308 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 265. | 309 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 266. | 310 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 267. | 311 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | " | " |
| 268. | 312 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 269. | 313 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 270. | 314 | " | " | " |
| 271. | 315 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 272. | 316 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 273. | 317 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 274. | 318 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 275. | 319 | " | पंचम् प्रतिवेदन | " |
| 276. | 320 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 277. | 321 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 278. | 322 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 279. | 323 | " | " | " |
| 280. | 324 | " | " | " |
| 281. | 326 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | बारहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 282. | 327 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 283. | 329 | " | " | - |
| 284. | 330 | " | विलोपित | - |
| 285. | 331 | " | सप्तम प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 286. | 333 | " | " | " |
| 287. | 337 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | " |
| 288. | 343 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 289. | 344 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 290. | 345 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 291. | 346 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 292. | 348 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 293. | 349 | " | उन्नीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 294. | 350 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 295. | 351 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 296. | 352 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 297. | 356 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 298. | 357 | " | " | " |
| 299. | 360 | चिकित्सा शिक्षा | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 300. | 361 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 301. | 368 | ऊर्जा | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 302. | 369 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 303. | 370 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 304. | 371 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 305. | 372 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 306. | 373 | " | " | एकादश विधानसभा |
| 307. | 374 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 308. | 375 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 309. | 376 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 310. | 377 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 311. | 378 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 312. | 379 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 313. | 380 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 314. | 381 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 315. | 382 | " | " | - |
| 316. | 383 | " | " | - |
| 317. | 384 | " | " | - |
| 318. | 385 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 319. | 386 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 320. | 387 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 321. | 388 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 322. | 389 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 323. | 390 | " | " | " |
| 324. | 391 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 325. | 392 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 326. | 393 | " | " | " |
| 327. | 394 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 328. | 395 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | |
| 329. | 396 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 330. | 397 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 331. | 398 | ऊर्जा | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 332. | 399 | लोक निर्माण विभाग | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 333. | 400 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 334. | 401 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 335. | 402 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 336. | 403 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 337. | 404 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 338. | 405 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 339. | 406 | " | " | " |
| 340. | 407 | " | " | " |
| 341. | 408 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 342. | 409 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 343. | 410 | " | " | " |
| 344. | 411 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 345. | 412 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 346. | 413 | " | " | " |
| 347. | 414 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 348. | 415 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 349. | 416 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 350. | 418 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 351. | 419 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 352. | 420 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 353. | 421 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 354. | 422 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 355. | 423 | " | " | " |
| 356. | 424 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 357. | 425 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 358. | 426 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 359. | 428 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 360. | 429 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 361. | 430 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 362. | 431 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 363. | 432 | " | " | " |
| 364. | 433 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 365. | 434 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 366. | 435 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 367. | 436 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 368. | 437 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 369. | 438 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 370. | 439 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 371. | 440 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 372. | 441 | " | " | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 373. | 442 | उच्च शिक्षा | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 374. | 443 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 375. | 444 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 376. | 445 | " | " | - |
| 377. | 446 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 378. | 447 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 379. | 448 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 380. | 449 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 381. | 450 | " | " | " |
| 382. | 451 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 383. | 452 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 384. | 453 | " | " | एकादश विधानसभा |
| 385. | 454 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 386. | 455 | " | | द्वादश विधानसभा |
| 387. | 456 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 388. | 457 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 389. | 458 | " | नवम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 390. | 459 | खनिज साधन | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 391. | 461 | जनशक्ति नियोजन | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 392. | 464 | आदिम जाति कल्याण | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 393. | 465 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 394. | 466 | " | " | " |
| 395. | 467 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 396. | 468 | " | चौबीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 397. | 469 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 398. | 470 | " | " | - |
| 399. | 471 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 400. | 473 | " | " | " |
| 401. | 474 | " | " | " |
| 402. | 476 | " | " | द्वादश विधानसभा |
| 403. | 477 | अनुसूचित जाति कल्याण | " | " |
| 404. | 478 | " | " | " |
| 405. | 479 | " | " | " |
| 406. | 480 | " | " | " |
| 407. | 481 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 408. | 482 | जेल विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 409. | 483 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 410. | 484 | " | " | " |
| 411. | 485 | " | " | " |
| 412. | 487 | स्कूल शिक्षा विभाग | सत्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 413. | 488 | " | " | " |
| 414. | 489 | " | " | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 415. | 490 | स्कूल शिक्षा विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 416. | 493 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 417. | 495 | " | उन्नीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 418. | 496 | " | " | " |
| 419. | 497 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 420. | 499 | " | " | " |
| 421. | 500 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 422. | 501 | " | सत्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 423. | 502 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 424. | 503 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 425. | 504 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 426. | 506 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 427. | 507 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 428. | 508 | " | सत्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 429. | 509 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 430. | 510 | " | " | - |
| 431. | 511 | " | " | - |
| 432. | 513 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 433. | 514 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 434. | 515 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 435. | 516 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 436. | 517 | " | पंचम् प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 437. | 518 | " | " | " |
| 438. | 519 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 439. | 520 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 440. | 521 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 441. | 523 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 442. | 524 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 443. | 525 | " | सत्रहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 444. | 526 | " | " | " |
| 445. | 527 | " | उन्नीसवां प्रतिवेदन | " |
| 446. | 529 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 447. | 530 | " | बारहवां प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 448. | 532 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 449. | 533 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 450. | 534 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 451. | 535 | " | छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित | - |
| 452. | 536 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 453. | 537 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 454. | 538 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 455. | 539 | " | " | " |
| 456. | 540 | " | " | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 457. | 541 | स्कूल शिक्षा विभाग | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 458. | 542 | " | " | " |
| 459. | 543 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 460. | 544 | " | सत्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 461. | 545 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 462. | 546 | " | " | " |
| 463. | 547 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 464. | 548 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 465. | 549 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | " |
| 466. | 550 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 467. | 551 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 468. | 552 | " | बारहवां प्रतिवेदन | " |
| 469. | 553 | " | पन्द्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 470. | 554 | " | सत्रहवां प्रतिवेदन | " |
| 471. | 555 | " | द्वितीय प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 472. | 556 | समाज कल्याण/सामाजिक न्याय | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 473. | 557 | श्रम | " | " |
| 474. | 558 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 475. | 560 | " | " | " |
| 476. | 561 | " | तृतीय प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 477. | 562 | " | सप्तम् प्रतिवेदन | द्वादश विधानसभा |
| 478. | 563 | " | " | " |
| 479. | 564 | " | पच्चीसवां प्रतिवेदन | " |
| 480. | 565 | भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत पुर्नवास | चतुर्थ प्रतिवेदन | एकादश विधानसभा |
| 481. | 566 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | तृतीय प्रतिवेदन | " |
| 482. | 567 | " | चतुर्थ प्रतिवेदन | " |
| 483. | 568 | " | " | " |
| 484. | 569 | " | तृतीय प्रतिवेदन | " |